अंक २

संख्या २२

शनिवार,

१३ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

पेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—संशोधन रूप में पारित [पृष्ठ भाग १३६७—१३९५]

निष्क्रान्त निक्षेप हस्तानान्तरण विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग १३९५—१४३२]

विमान निगम (संशोधन) विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग १४३२—१४४२]

नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग १४४३—१४५२]

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—असमाप्त [पृष्ठ भाग १४५२—१४६४]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

18 PSD

लोक सभा

शनिवार, १३ मार्च, १९५४

सभा एक बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री गोपालन ने एक स्थगन प्रस्ताव के लिये सूचना दी है। पहले वह मुझसे मेरे कक्ष में मिल लें, तब मैं निर्णय करूंगा।

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—क्रमागत

अध्यक्ष महोदय : अब सदन प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेगा।

खंड ३—(१९५१ के अधिनियम ५६ की धारा २ का संशोधन)—क्रमागत

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से कल खंड ३ पर चर्चा चल रही थी और श्री साधन गुप्त बोल रहे थे। उसके सब संशोधन कल निपटाए जा चुके हैं। श्री गुप्त को बुलाने से पहले मैं सदन को सूचित कर दूं कि अब इस विधेयक के सभी प्रक्रमों के लिये कुल आधा घंटा और रह गया है। खंड ४ पर अनेक संशोधन हैं। माननीय सदस्यगण खंड ४ पर चर्चा शुरू होते समय उनमें से कुछ चुन सकते हैं।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : कल मैं बता रहा था कि एक छोटे से संशोधन के द्वारा विधि में बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया गया है तथा अघोषित प्रेसों द्वारा मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम बिना लिखे कुछ मुद्रित करने के ऊपर लगने वाले दंड को अपेक्षतया अधिक कठोर बना दिया गया है। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे प्रेसों को दंड न दिया जाए, परन्तु एक तो वह दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिये, दूसरे सदन को उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किए बिना यह उपबंध नहीं रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—(१९५१ के अधिनियम ५६ की धारा २० का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : कौन कौन संशोधन रखे जा रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : एक मुझे रखना है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं संख्या ६ रखना चाहूंगा ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं अपने संशोधन रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो सरकारी संशोधनों के अतिरिक्त केवल संख्या ६ वाला संशोधन और रखा जा रहा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" (१) पृष्ठ १ में पंक्ति १८ से २६ तक का लोप किया जाये; तथा

(२) पृष्ठ २ में पंक्ति १ और २ का लोप किया जाये ।"

खंड ४ में माननीय मंत्री न्यायसभ्यों को इस विधान के प्रणेता राजाजी द्वारा सौंपे गये कुछ कृत्यों को उनसे छीन रहे हैं, जिनके अनुसार विषय के आपत्तिजनक होने या न होने तथा मामले की परिस्थितियों में सरकार द्वारा मांगी गई प्रतिभूति के लगाये जाने या न लगाये जाने का निर्णय करना न्यायसभ्यों का काम था । मेरे विद्वान मित्र ने कल इसे अनोखा उपबंध बताया था, पर हैल्सबरी के लॉज़ आफ इंगलैंड जिल्द २०, पृष्ठ ५०८, कंडिका ६२५ के अनुसार यह कार्य न्यायसभ्यों का ही है । यह पद इंगलैंड के मुख्य न्यायाधीश लार्ड हैवर्ट द्वारा रखा गया था । अतः इंगलैंड में क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण न्यायसभ्यों द्वारा किया जाता है ।

मेरे माननीय मित्र ने कल दिल्ली के एक पत्र में भारत के एक विदेशस्थ राजदूत की पत्नी के संबंध में छपे हुए एक वृत्तान्त से संबद्ध घटना का उल्लेख करते हुए बताया था कि न्यायसभ्यों ने उस विषय को आपत्तिज़नक बताते हुए भी कहा था कि कोई क़ार्यवाही न की जाये । परन्तु सच बात यह है कि उस मामले में 'तेज', 'शंकर्स वीकली,' 'पीशवा' और 'अलजमैयत' के सम्पादक तथा दिल्ली नगरपालिका के सभापति न्यायसभ्य थे और उन्होंने अधिनियम की धारा १६ के अधीन यह निर्णय दिया था कि यह विषय आपत्तिजनक है, पर राज्य सरकार ने ३०,००० रुपये की प्रतिभूति मांगी थी, जो बहुत बड़ी राशि थी, और ब्रिटिश काल तक में कभी ५००० से अधिक की प्रतिभूति नहीं मांगी गई थी । ऐसी स्थिति में न्यायसभ्यों ने कहा था कि चूंकि उनको कोई अन्य दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, और वे इतनी बड़ी राशि के दंड की सिफारिश नहीं कर सकते अतः वे संबद्ध पत्र को कड़ी चेतावनी देते हैं और ऐसा फिर करने पर उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्यवाही की जायेगी । सत्र न्यायाधीश को भी यद्यपि इस अधिनियम की धारा २१, उपधारा (२) के अधीन यह शक्ति मिली हुई है कि न्यायसभ्यों से सहमत न होने पर यदि वह न्याय की दृष्टि से उचित समझे तो वह अपने विचार व्यक्त करते हुए उस मामले को उच्च न्यायालय तक भेज सकता है । परन्तु विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी ऐसी कोई बात नहीं समझी । अतः उस मामले के कारण यदि न्यायसभ्यों से यह शक्ति छीन लेना आवश्यक हो गया है, तो यह शक्ति न्यायपालिका से ही छीन लेनी चाहिये ।

शायद प्रधान मंत्री ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि इस तीस हज़ार के स्थान पर कुल तीन हज़ार होना चाहिये था और यह विभागीय गलती थी, परन्तु माननीय

मंत्री सम्बद्ध विभाग और व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही न करके न्यायसभ्यों से वह शक्ति छीन रहे हैं। अतः आप चाहें, तो इस विधान की अवधि एक दो वर्ष के लिये और बढ़ा दें, परन्तु उसमें ऐसे परिवर्तन न करें और प्रेस वालों को दिये गये इस विशेषाधिकार को न छीन लें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा निवेदन है कि यद्यपि पहले विधेयकों के संबंध में कोई समयावधि नहीं थी, तथापि कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा निश्चित बारह घंटे की अवधि का हमें पालन करना चाहिये। फिर भी यह एक महत्व-पूर्ण विधेयक है और प्रवरसमिति आदि किसी ने इस पर विचार नहीं किया है। अब हम पुनर्विचार-प्रार्थनाओं (अपीलों) के प्रश्न को ले रहे हैं, और मुझे महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। मैं अपनी बात कह सकूं। इसके लिये कृपया समयावधि बढ़ा दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं है। साधारण चर्चा के लिये आठ घंटे, तथा खंडशः विचार के लिये तीन घंटे रखे गये थे। माननीय सदस्यगण साधारण चर्चा में समय बचा सकते थे, पर उसमें दो घंटे अधिक लग गए। सदन को दो अन्य विधेयक भी तुरंत पारित करने हैं और उन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्यगण की कठिनाई समझता हूं, पर सदन के समक्ष जब इतना कार्य है, तो भाषणों की लंबाई पर भी ध्यान रखना होगा।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम): परसों छः बजे बाद मैं ने इस प्रश्न की ओर सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, परन्तु प्रथम प्रक्रम समाप्त नहीं किया गया, अब खंडों को निपटाना है, तृतीय वाचन है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न प्रक्रमों के लिये समय निश्चित कर दिया जाता है, तो उसका पालन होना चाहिये। खंड ही प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और यदि हमें पर्याप्त समय न मिला, तो हम इस विधेयक के साथ न्याय न कर सकेंगे। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : अन्य विकल्प नहीं है इस पर समय नष्ट करना व्यर्थ है। यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो हम अन्य विधेयकों के समय में से समय काट लें। क्या निष्क्राम्य निक्षेप विधेयक के लिये एक घंटा पर्याप्त होगा ?

श्री गिडवानी (थाना) : दो घंटे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्यगण इससे सहमत हैं ? पर आगे समय बढ़ाने की बात न उठनी चाहिये और भाषण बहुत संक्षिप्त होने चाहिये। मेरी समझ से तृतीय वाचन में विशेष समय न लगेगा।

डा० काटजू : मैं नहीं चाहता कि समय में कमी की जाये। चर्चा के लिये जितना अधिक समय मिल सके ठीक है, पर खंड ४ के संबंध में माननीय सदस्यगण साधारण चर्चा के समय सब कुछ कह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय निश्चित कर रहा हूं। खंड ४, ५ और ६ के लिये आध घंटा और माननीय मंत्री के लिये १५ मिनट। इस प्रकार तृतीय प्रक्रम के लिए आधा घंटा बचेगा।

डा० काटजू : कुछ संशोधन हैं। पर मैं विशेष समय न लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें रख दूंगा। माननीय सदस्य गण उन पर नहीं बोलेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ये मामले साधारण मामलों से भिन्न होते हैं और इनमें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अपराध के विहित होने, सम्बन्धित व्यक्ति के अभियुक्त ठहराये जाने, दोष सिद्ध होने और छट जाने आदि जैसी बातें नहीं होतीं। परन्तु माननीय मंत्री यह अन्तर नहीं समझ रहे हैं। जैसा श्री चटर्जी ने बताया कि पूरे विधेयक पर समूचे रूप में विचार करना चाहिये। इन मामलों में आदेश पारित हो जाने पर भी सिद्धदोषिता नहीं होती, न दंड संहिता की धारा ७५ ही लागू होती है। इन मामलों में छूट जाने के आदेश के या अपील-योग्य ठहराने वाले आदेश के पारित होने का प्रश्न नहीं उठता। सामान्य मामलों में अपराध, दंड आदि की सारी परिभाषायें दंड संहिता की ३०२, ३०४ ३२३ और ३२५ आदि धाराओं में दी गई हैं। पर इन निवारणात्मक उपबन्धों में पहले तो यह देखना होता है कि आपत्ति-योग्य बात है या नहीं और उसके सिद्ध हो जाने पर भी न्यायाधीश प्रतिभूति मांगने के लिये बाध्य नहीं है। उसे स्वविवेकानुसार यह निश्चय करना होता है कि संबद्ध व्यक्ति द्वारा वह बात प्रकाशित कर देने पर भी उसकी योग्यता, पूर्वानुभव आदि तथ्यों की दृष्टि में प्रतिभूति आवश्यक है या नहीं। अतः यह न तो विशुद्धतः विधि की बात है, न तथ्य की, बल्कि दोनों की बात है, इसी कारण इसे न्यायसभ्यों के ऊपर डाला गया है।

इस विधान के प्रणेता का अभिप्राय यह था कि इसी व्यवसाय में संलग्न भद्र-पत्रकारों को न्यायसभ्य नियुक्त करके उनके द्वारा ही व्यवसाय के कुछ सदाचार निश्चित कराये जायें। वर्तमान मंत्री को यही विदित नहीं है कि दो वर्षों की अवधि क्यों निश्चित की गई थी। इसी प्रकार के अन्य तथ्य उनको विदित न होने के कारण वह यह परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं हैं। दंड संहिता की धारा ४१८ के अधीन इस प्रकार के मामले में अपील के लिये बहुत कम शक्तियां दी गई हैं। सामान्य मामलों में न्यायसभ्यों के होने पर विधि की बातों के विषय में ही अपील की जा सकती है। इस अधिनियम में अपील-न्यायालय को पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह किसी तथ्य या विधि के सम्बन्ध में कुछ भी आदेश दे सकता है। अतः इस विशिष्ट अधिनियम में विशिष्ट उपबन्ध थे। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि अपने संशोधन पर आग्रह न करें, क्योंकि यह विधेयक प्रवरसमिति आदि किसी के पास विचारार्थ नहीं गया है। अ-वधि का विस्तार करने वाले विधेयकों में ऐसी विवादग्रस्त बातें नहीं उठाई जानी चाहिये। अतः अब भी माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि अपने सभी संशोधन वापस ले लें।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने जो तर्क किये हैं उन पर मुझे आश्चर्य है। उन्होंने आपका ध्यान इंगलैंड के शल्स-बरी की विधियों में से एक उद्धरण की ओर आकर्षित किया था तथा आपको दीवानी के मामलों की प्रक्रिया के बारे में बताया था। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उनकी उस मोटी पुस्तक में कोई भी ऐसा उदाहरण है जिस से यह विदित हो कि वह प्रक्रिया दंडनीय मामलों पर लागू होती है। हम जानते हैं कि दीवानी के मामले में यह दावा समझा जाता है। मान लीजिये कि यह एक मान-हानि का मामला है और मैं २,००,००० रुपये का दावा करता हूं जैसे कि वायदा-पत्र पर दावा कर रहा हूं। इस मामले में जूरी दो प्रश्नों पर अपना निर्णय देगी अर्थात एक इस बात पर कि वास्तव में मान-हानि हुई है या नहीं, और दूसरी इस बात पर कि यदि मानहानि हुई है तो वादी को कितने धन का, पौ० आदि या रुपयों

के रूप में, अधिकार है। मेरे माननीय मित्र उस उद्धरण को आपके समक्ष पढ़ते हैं तथा कहते हैं कि जूरी को हानि की मात्रा पर निर्णय देने का अधिकार है। हमें यह बात भली भांति समझनी चाहिये। मैं विश्वास-पूर्वक कहता हूं कि दंडनीय मामले में, अपराधी के बारे में जूरी के मत देने के उपरान्त, न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह यह निर्णय करे कि वह अभियुक्त को चेतावनी देकर विमुक्त करता है या उसे क्या दंड मिलना चाहिये। थोड़ी सी जानकारी के साथ एक वकील के रूप में बोलते हुये मैं कहता हूं कि मेरे विचारानुसार यह सच है। यह एक असाधारण बात है।

दूसरी बात यह है। उन्होंने उस घृणित मामले का निर्देश किया था—मैं मामले पर विचार विमर्श करना नहीं चाहता हूं चाहे वह प्रेस का हो, चाहे जूरी का या न्यायाधीश का। उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रता से चल रहा था, किसी भी व्यक्ति ने ३०,००० रुपयों की मांग नहीं की। उसका राष्ट्रीय आन्दोलन से क्या सम्बन्ध है? यहां, एक ऐसे सज्जन के विषय में व्यक्तिगत नोट प्रकाशित हुआ था जिसकी पत्नी तथा बच्चे हैं। मैं कहता हूं कि इस मामले में एक लाख रुपया मांगा जाना चाहिये था और वह बीस हजार के बारे में कह रहे हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्यों नहीं? यह सत्र-न्यायाधीश का काम है।

डा० काटजू : यह एक भिन्न मामला है। सत्र-न्यायाधीशों के विरुद्ध अपील सब जगह की जाती है। यहां मैं न्यायकर्ता-समुदाय पर विचार विमर्श करना नहीं चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि न्यायाधीश, ३०,००० रुपये की जमानत के लिये या किसी भी बात के लिये नहीं आदेश दे सकता है। मेरा विचार है कि यह भूल से छूट गया है। यह प्रेस चलाने वाले के सम्बन्ध में धारा ४ है जिसमें कहा गया है कि :—

> "सत्र न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा प्रेस चलाने वाले को निदेश देंगे कि वह आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन में जमानत के रूप में उतना धन जमा करे जितना कि न्यायाधीश उचित समझे . ."

यदि सरकार ने अपनी शिकायत में ३०,००० रुपया मांगा है तो सत्र-न्यायाधीशों को अधिकार है कि वे मना कर दें और केवल तीन हजार या तीन सौ की ही अनुमति दें।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या मैं माननीय मंत्री की बात में हस्तक्षेप कर सकता हूं? जूरी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कृपया आप धारा २० को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है :—

> "यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सत्र-न्यायाधीश के पास किसी जांच में, प्रतिवादी मामले का निर्णय जूरी की सहायता से कराने का दावा करता है . ."

डा० काटजू : हम इस बात पर आ रहे हैं कि सत्र-न्यायाधीश क्या कर सकता है। धारा ४ में फिर कहा गया है :—

> "बशर्तोकि यदि सत्र-न्यायाधीश, सारी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये, इस बात से सन्तुष्ट है कि मामले की आवश्यकतायें चेतावनी से पूर्ण हो जायेंगी, तो यह जमानत मांगने की बजाये ऐसी चेतावनी दे सकता है।"

यह प्रेस चलाने वाले के विषय में है तथा कन्डिका ७ में भी हमें ऐसा ही उपबन्ध

[डा० काटजू]

मिलता है । मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास ऐसे मामलों की सूची है जिनमें सत्र-न्यायाधीशों ने बारबार अपेक्षित: थोड़ी जमानत मांगी है । मैं किसी भी दल की भावना से नहीं बोल रहा हूं । मेरे माननीय ज्येष्ठ ने जिनका मैं सम्मान करता हूं तथा जिनके चरणों में मैं स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, इस मामले में चाहे जो भी कहा हो, परन्तु मैं समझता हूं कि जूरी पर यह एक बहुत बड़ा भार रखना है । हमारा अपना कोई निर्णय है । जूरी पर यह एक बहुत बड़ा भार रखना है कि उससे यह बताने के लिये कहा जाये कि क्या दण्ड दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निषेधात्मक मामलों में दंड नहीं दिया जाता है ।

डा० काटजू: यह एक दंडनीय कार्यवाही के रूप में आरम्भ होता है । इस पर दांडिक प्रक्रिया संहिता के नियम आदि लागू होते हैं । इसके परिणाम स्वरूप आदेश होता है—इसे आप जो चाहे कहें । फिर उच्च न्यायालय में इसकी अपील होती है । मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि यह ज़मानत का मामला है । यदि आपत्तिजनक लेख आदि में कोई ऐसी बात हो गई है जिसे आप राजनीतिक टिप्पणी कहें तो मैं इस प्रकार की कुछ बात समझ सकता हूं । कल मैंने सदन को सन्तुष्ट कर दिया था । धारा ३ के प्रत्येक खंड का दांडिक संहिता की किसी विशेष धारा से निर्देश किया जा सकता है और .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सर्वथा गलत है ।

डा० काटजू : .... वहां दिया गया मृत्यु-दंड से आरम्भ होता है तथा प्रत्येक मामले में कारागार के दण्ड पर समाप्त होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रश्न ।

डा० काटजू : अब मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि ये अभियुक्त नहीं हैं । मैं नहीं जानता , ये वे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा गया है । वे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो चाहें कह सकते हैं तथा यदि कोई जमानत मांगी जाती है यदि उनके बारे में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचार नहीं किया जाता है तथा कारागार का दंड नहीं दिया जाता है, तो उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं, विशेष सुविधाओं तथा रियाअतों का अधिकार है । यह इस जूरी का पक्ष लेना होगा न कि दूसरी जूरी का । सम्भवत: मैं इस प्रस्ताव का समर्थक नहीं हो सकता हूं । मेरा विचार है कि ऐसा करना मेरे लिये घातक होगा । जब वह विधेयक प्रस्तुत होगा,—यह इस विधेयक के उदाहरण बनने का प्रश्न नहीं है,—जब हमारे समक्ष सारा मामला होगा, तथा यदि मैं अपना ढंग रखता हूं तो मैं इस सहानुभूति प्राप्त प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम को पूर्णतया रद्द करने का प्रस्ताव सदन में रखूंगा । इसे दंड संहिता में सम्मिलित करूंगा तथा ऐसा बुरा कार्य करने वालों को उचित दंड दूंगा । मैं यह बार बार दोहराता हूं कि यह एक दयापूर्ण अधिनियम है । यह एक उदार अधिनियम है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सर्वथा अप्रभावी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : बेकार तथा अप्रभावी ।

डा० काटजू : यह प्रेस का बहुत पक्ष करता है । सदन के समक्ष मेरा यह प्रस्ताव है :

> मैं नहीं जानता कि आप दूसरे प्रस्ताव पर, जो अपील के सम्बन्ध में है, विचार कर रहे

हैं या नहीं। मैं सदन को बेकार रोकना नहीं चाहता हूं। मैंने इस पर कल विचार प्रकट किया था। हम सब पर वही संहिता लागू होती है। जिस व्यक्ति पर कत्ल का मुकद्दमा चल रहा है उसके तथा उस सज्जन व्यक्ति के बीच, जिससे ३०० रुपये की जमानत जमा करने को कहा गया है, भेदभाव क्यों होना चाहिये ? ३०० रुपये वाला सज्जन व्यक्ति कहता है, सत्र-न्यायाधीश ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया है, मैं विमुक्त हूं। वह गरीब आदमी जिस पर क़त्ल का मुकद्दमा चला है, सत्र-न्यायालय से विमुक्त हो जाता है। सरकार अपील करती है तथा उसे फांसी का आदेश हो जाता है और उसे फांसी हो जाती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र खण्ड ५ पर बोल रहे हैं।

डा० काटजू : यह क्या हस्ताक्षेप है? क्या यह कोई औचित्य का प्रश्न है ? ये दोनों बातें भारत में विद्यमान दण्ड न्याय शास्त्र के सम्पूर्ण विचार की विरोधी हैं। मैं इसका विरोध केवल विरोध के लिये नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे माननीय मित्र मुझे यह कहने दें कि यदि इसका कोई आधार होता, कोई महत्व होता, तो इस संशोधन को मैं सबसे पहिले स्वीकार करता।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन पर सदन का मत लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"(१) पृष्ठ १ पर, omit lines 18 to 26' (१८ से २६ तक की पंक्तियां हटा दी जायें); तथा

(२) पृष्ठ २ पर ' omit lines 1 and 2 ' (१ तथा २ पंक्तियों को हटा दिया जाये)।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३८।

डा० काटजू : यदि हम ज़िला वार जूरी बनाने की कार्यवाही करें, तो बहुत से ज़िलों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। अतः सरकार ने व्यवसाय के हित में निश्चय किया है कि हम राज्यवार एक नामावली बना सकते हैं। यह मूल विधेयक में, जैसा कि सदन में प्रस्तुत किया गया था, कहा गया था। फिर, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इसे प्रकाशित कैसे किया जाये, यह तैयार कैसे किया जाये तथा इसका वितरण कैसे हो। इस मामले की सविस्तार जांच हो चुकी है तथा यह संशोधन आपके समक्ष वह प्रक्रिया प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार राज्यवार नामावली बनाई जाये तथा सारे ज़िलों पर परिचारित की जाये यह संशोधन का उद्देश्य है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ १ पर १५ से १७ तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्न रख दिया जाये —

[(a) for sub-sections (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely:]

[(क) उप-धारा (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रखी जायेंगी, अर्थात्:]

"(3) Such Officer as may be appointed by the State Government in this behalf shall, consistently with provision contained in sections 319

[डा० काटजू]

and 320 of the Code in so far as they may be applicable thereto, prepare and make out in alphabetical order a list for the entire State of persons residing within the State, who by reason of their journalistic experience or of their connection with printing presses or newspapers or of their experience in public affairs are qualified to serve as jurors, and the list shall contain the name, the place of residence and occupation of every such person.

(4) The list so prepared shall be published by the officer in such manner as he may think fit for the purpose of inviting objections thereto, whether orally or in writing, and a copy of the list as finally revised by him shall be sent to each of the Sessions Judges within the State and shall also be published in the official Gazette of the State."

--Dr. Katju

[इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी, संहिता की धारा ३१९ तथा ३२० के उपबन्धों के अनुसार उस सीमा तक जहां तक व उस मामले पर लागू होते हों, कार्यक्रम के अनुसार सारे राज्य के लिये राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक नामावली बनायेगा, जो अपने पत्रकारिता के अनुभव या छापने वाले प्रेसों या समाचारपत्रों से अपना सम्बन्ध होने या लोक कार्य का अनुभव होने के कारण जूरी के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अर्ह हैं। नामावली में सम्मिलित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम, रहने का स्थान तथा व्यवसाय का उल्लेख होगा।

(४) अधिकारी इस प्रकार बनाई गई नामावली को, उस पर मौखिक अथवा लिखित आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिये, ऐसे ढंग से जिसे वह उचित समझता है प्रकाशित करेगा। अन्तिम रूप में उसके द्वारा दोहराई गई नामावली की एक प्रति राज्य में प्रत्येक सत्र न्यायाधीश के पास भेजी जायेगी तथा राज्य के शासकीय राजपत्र में भी प्रकाशित होगी।]

--डा० काटजू

आगे संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ २ पर पंक्ति २ के पश्चात् जोड़ा जाये—

"(a) In sub-section (5), for the words and letters, 'the provisions of the said parts C, E and F shall apply to all inquiries under this section, and the provisions of the said part K

shall apply to the preparation and revision of lists and jurors under this section', the words 'the provisions of the said parts shall apply to inquiries under this section' shall be substituted."

—Dr. Katju

[उप-धारा (५) में, 'उक्त भाग ग, ङ तथा च के उपबन्ध इस धारा के अन्तर्गत समस्त जांचों पर लागू होंगे, तथा उक्त भाग ट के उपबन्ध इस धारा के अन्तर्गत नामावलियों तथा जूरी के सदस्य के बनाने तथा दोहराने पर लागू होंगे' शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर 'उक्त भागों के उपबन्ध इस धारा के अन्तर्गत जांचों पर लागू होंगे' रखे जायें।]

—डा० काटजू

खंड ५—(१९५१ के अधिनियम ५६ की धारा २३ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : क्या खण्ड ५ के कोई संशोधन प्रस्तुत हो रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम खण्ड ५ पर बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतः, मैं इसे अलग अलग रखूंगा। परन्तु, क्या कोई संशोधन हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पर पंक्ति ९ में—

(१) " The competent authority or " (योग्य प्राधिकारी अथवा) हटा दिये जायें; तथा

(२) "other" (अन्य) हटा दिया जाये।

मैंने माननीय गृह-कार्य मंत्री का भाषण ध्यानपूर्वक सुना है परन्तु मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं सदन का ध्यान मूल अधिनियम की धारा २३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध सत्र-न्यायाधीश ने आदेश दिया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अर्थात्, उस धारा में सरकार न अपने लिये अपील करने का अधिकार नहीं रखा है।

मेरा निवेदन यह है कि अभी रखे गये गृह-कार्य मंत्री के संशोधन की दृष्टि से, जिसे सदन ने स्वीकार किया है, सारे राज्य से इस व्यवसाय में उत्तरदायी व्यक्तियों को जूरी का सदस्य चुना जायेगा। ये सदस्य मुकद्दमे के लिये होंगे तथा यह बतायेंगे कि वास्तव में अभियुक्त अपराधी है अथवा नहीं। यदि सत्र-न्यायाधीश उनका निर्णय स्वीकार नहीं करता है तो वह मुकद्दमा को उच्च न्यायालय में भेज सकता है तथा सरकार के विरुद्ध मुकद्दमा समाप्त नहीं होता है। मेरा मत है कि जब जूरी के पांच या सात व्यक्ति तथा सत्र-न्यायाधीश एक ही निर्णय करते हैं तथा अभियुक्त को विमुक्त कर देते हैं, तो सरकार को वह निर्णय स्वीकार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जूरी तथा न्यायाधीश के एकमत से अभियुक्त के विमुक्त होने पर सरकार को अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

अतः मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन बहुत ही युक्तियुक्त है तथा मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री वल्लाथरास के नाम में एक संशोधन है।

श्री वल्लाथरास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, लाइन ९ में शब्द "सक्षम अधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "जांच के पक्षों में से कोई भी" रख दिए जाएं।

मेरा संशोधन श्री सोधिया के संशोधन से भिन्न है। प्रश्न यह है कि उच्चतर न्यायालय में जाने का अधिकार किसे है, कार्यवाही में सम्मिलित पक्षों को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कि न्याय निर्णय के दौरान में कोई बात कही गयी हो। मेरी राय में किसी अन्य व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए, केवल कार्यवाही से सम्बन्धित पक्षों को ही अपनी शिकायत दूर करने का अवसर देने के लिए उच्चतर न्यायालय में जाने की अनुमति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि श्री वल्लाथरास का संशोधन स्वीकृत कर लिया गया तो विधेयक के निर्माताओं का समस्त प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। जबकि मूल विधेयक पर चर्चा की जा रही थी तो मैंने तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजगोपालाचार्य की दृष्टि में यह बात लाई थी कि ५ या १० लाख की कीमत का प्रेस जब्त कर लिए जाने पर भी, प्रेस के मालिक को अपील करने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह कार्यवाही के पक्षों में सम्मिलित नहीं है। माननीय श्री दातार ने वाद-विवाद के दौरान में कहा कि यद्यपि प्रेसों के मालिक किसी पक्ष में नहीं आते, वह उन्हें दण्ड देना चाहते हैं। प्रेस के प्रबन्धक (कीपर) की स्थिति प्रतिवादी की है। इस विधेयक का वास्तविक आशय यही है। मैंने यह प्रश्न उठाया था किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। श्री वल्लाथरास का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसा, आप जानते हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ४१७ एक ऐसा उपबन्ध है जो भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं मिल सकता।

मेरे माननीय मित्र धारा ४१७ के आधार पर कार्यवाही करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि यह धारा लागू नहीं होती। यह केवल रिहाई के आदेशों के विरुद्ध लागू होती है। इस मामले में रिहाई का कोई आदेश नहीं है। कुछ आरोपों के आधार पर केवल एक जांच का प्रश्न है। यही आधार है। इसलिए यह धारा ४१७ का विस्तार नहीं है। इसलिए धारा ४१७ लागू नहीं होती। मेरे मित्र का कहना है कि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता से बद्ध है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने अपने इतने वर्षों के प्रचलन में किसी निरोधक उपबन्ध के विरुद्ध अपील का उपबन्ध नहीं किया, और मैं अपने माननीय मित्र से इस बात पर विचार करने का निवेदन करूंगा कि यह निरोधक उपबन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

वास्तव में असली कठिनाई यह है। मेरे मित्र इसे दाण्डिक विधेयक समझते हैं। सभी निरोधक विधेयक दाण्डिक नहीं होते। यदि यह दाण्डिक नहीं है, तो निरोधक है; और मैं अपने माननीय मित्र से कहता हूं कि विश्व की किसी भी विधि पुस्तिका में देख लें, इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए अपील का उपबन्ध नहीं है।

अन्य भी कई कारण हैं किन्तु मुझे खेद है कि समयाभाव के कारण मैं उन पर प्रकाश नहीं डाल सकता।

श्री साधन गुप्त : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में, खंड ५ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाए :

"5. Amendment of Section 23, Act LVI of 1951—In Section 23 of the principal Act, for the words 'sixty days' the words 'six months' shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted."

[५. **धारा २३ का संशोधन, सन् १९५१ का ५६ वां अधिनियम**—मुख्य अधिनियम की धारा २३ में शब्द 'साठ दिन' के स्थान पर शब्द 'छः मास' जोड़ दिए जायें तथा सदा इसी प्रकार जोड़े गये समझे जायें]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब तीन संशोधन हैं, संशोधन संख्या ३३ जो श्री साधन गुप्त द्वारा अपील की समयावधि में विस्तार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, श्री वल्लाथरास का संशोधन और श्री सोधिया का संशोधन।

डा० काटजू : मुझे खेद है कि मैं तीनों में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे माननीय मित्र कभी-कभी निवारक निरोध अधिनियम का ज़िक्र करने की सीमा तक जाते हैं। क्या यह विषय के साथ व्यंग करना नहीं है ? हमने एक विशेष मंत्रणा बोर्ड निर्मित किया था। उसकी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या है। वे कोई निर्णय देने के लिए नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि मंत्रणा बोर्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध न करके बहुत तर्कपूर्ण कार्य किया गया है। दूसरे माननीय मित्र ने कहा कि सक्षम अधिकारी मौजूद है। उन्हें अपील नहीं करनी चाहिए। वे दोनों वास्तव में एक ही बात कह रहे हैं। उधर मेरे माननीय मित्र ने कहा कि प्रेस के प्रबन्धक (कीपर) अथवा प्रकाशक तथा सरकार के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति को अपील का अधिकार नहीं हो। स्वयं विधेयक का सार ही यह है, कि सक्षम अधिकारी अथवा संतप्त व्यक्ति ही अपील कर सके। संतप्त व्यक्ति प्रबन्धक या प्रकाशक होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री गुप्त एक अनुचित सी बात कह रहे हैं। अपील के लिए साठ दिन हैं, उनका ६ मास का सुझाव है। क्यों, यह किसी को नहीं मालूम। कार्यवाही में विलम्ब हो जाता है। कोई ५४ मामले निलम्बित हैं। इससे विलम्ब होता है। इन सब कारणों से मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रक्खे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नवीन खंड ७—(सन् १९५४ के अध्यादेश ४ का निरसन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २ में, पंक्ति १५ के पश्चात्, यह जोड़ दिया जाए—"७. सन् १९५४ के अध्यादेश ४ का निरसन—प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का ४) निरसित किया जाता है।"

—डा० काटजू

नवीन खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १—(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में, खंड १ के स्थान पर यह जोड़ दिया जाए :

"1. **Short title and commencement**— (1) This Act may be called the Press (Objectionable Matter) Amendment Act, 1954.

(2) It shall be deemed to have come in to force on the 29th day of January, 1954."

[१. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**—(१) यह अधिनियम प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन अधिनियम, १९५४ कहलाए ।

(२) यह २९ जनवरी, १९५४ से प्रवर्तित हुआ समझा जाएगा ।]

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रक्खा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

स्थानापन्न खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं । इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान में माननीय मंत्री जी ने अनेक बार यह कहा कि यह किसी दल के विरुद्ध नहीं है, किन्तु इसके साथ ही वह उन लोगों में सम्मिलित थे जो कि विशेष कर साम्यवादी दल पर बड़े-बड़े आक्षेप करते रहे हैं । सदन में किसी भी विधेयक पर चर्चा हो रही हो, कुछ माननीय सदस्य सदा ही अपना ध्यान साम्यवादी दल, रूस, चीन आदि के विरुद्ध केन्द्रित करते हैं । साम्यवादी दल पर लगाए गये आरोपों का उत्तर मेरे दल के कुछ सदस्यों द्वारा दिया जा चुका है, इसलिए मैं उन्हें नहीं लूंगा, और मैं जानता हूं कि यदि मैं उनका उत्तर दूं भी तो भी उन्हीं आरोपों को दोहराया जाएगा ।

हमारे सम्मुख जो विधेयक है, उसके सम्बन्ध में मैं दो महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूं । गृह मंत्री जी ने कहा कि इसे किसी दल विशेष के विरुद्ध अथवा प्रेस के किसी भाग के विरुद्ध नहीं लाया गया है । हम इस पर विश्वास नहीं करते । वास्तविकता यह है कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी देश में किया जा रहा है वह हमारे दल के विरुद्ध किया जा रहा है । मैं कुछ प्रकाशन जो रेलवे पुस्तक विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं अपने साथ लाया हूं । इसमें कुछ साहित्य ऐसा है जो हिंसा और हत्या को प्रेरणा देता है । कुछ लेख अश्लीलता से भरे हुए हैं ।

कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कि रेलवे स्टेशनों पर बेचने दी जाती हैं और कुछ इस प्रकार की पुस्तकें हैं जो कि रेलवे स्टेशनों पर बेची नहीं जा सकतीं हैं, जबकि ये पुस्तकें शिक्षा और विज्ञान आदि के विषय में होती हैं । यह भेदभाव की नीति है और यह भेदभाव राजनैतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है । यह विधान पारित हो जाने के बाद ऐसे समाचारपत्रों के विरुद्ध लगाया जायेगा जिन्हें सरकार पसन्द नहीं करती । कांग्रेस दल के जितने भी सदस्य बोले हैं उन्होंने यह कहा कि यह अधिनियम

बिना किसी राजनैतिक भेद भावना के सभी समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू किया जाय। यदि ऐसा है तो देश के सामान्य कानून को ही क्यों न प्रयुक्त किया जाय? जब इस सामान्य कानून से इस विधेयक के सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तो इस विशेष कानून की क्या आवश्यकता है? इस विधेयक को प्रस्तुत करने का यह कारण बताया गया है कि रूस और चीन में व्यक्तिगत तथा वाक् स्वातन्त्र्य नहीं है। किन्तु इस विधेयक का रूस और चीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय गृह मंत्री ने बताया कि देश में आपात कालीन स्थिति है और देश में खतरा है। किन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें खतरा इस बात का है कि उनके शासक दल को हटा न दिया जाय। इस विधेयक का उद्देश्य तो शासक दल को सत्ता से हटाने के लिये किये जाने वाले कामों को रोकना है। देश में कुछ ऐसे समाचार-पत्र हैं जो स्वतन्त्र नीति अपनाते हैं और इन समाचारपत्रों ने अपने लेख आदि द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की है। मंत्री तथा अधिकारी ऐसे स्वतंत्र समाचारपत्रों से घबराते हैं। हमें जो संख्या बताई गई है उससे मालूम होता है कि गत कई वर्षों में बहुत थोड़े समाचारपत्रों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये जाने के मामले हुए हैं। फिर जब देश में संकट-कालीन स्थिति नहीं है तो इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिये।

जिन समाचारपत्रों को सरकार का समर्थन प्राप्त है उन्होंने भी इस विधेयक का विरोध किया है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया है। इसलिये यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रम जीवी पत्रकार होने के नाते मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इस विधेयक के बारे में मेरी पांच आपत्तियां हैं। मुझे इस बात का खेद है कि डा० काटजू ने दिये गये आश्वासनों का तथा वचनों का ध्यान नहीं रखा। सदन को याद होगा कि जब संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी तथा जब १९५१ में श्री राजगोपालाचार्य बोले थे उस समय इस बात के विशिष्ट आश्वासन दिये गये थे कि यह एक स्थायी विधान नहीं होगा। किन्तु मुझे खेद है कि इसे स्थायी विधान बनाया जा रहा है; दो वर्ष का समय इसके लिये बहुत अधिक था।

मैं इस विधेयक को दण्डात्मक विधान समझता हूं। जो समाचारपत्र भद्दी आलोचनायें करते हैं या दूसरों पर निन्दनीय आक्षेप करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के मामले में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु इस मामले में कार्यवाही करने के लिये सामान्य कानून, भारतीय दण्ड विधान है। जिन पत्र पत्रिकाओं में अश्लील साहित्य हो और जिनमें व्यक्तिगत आलोचना हो और जिनमें दूसरों के चरित्र पर निन्दनीय आक्षेप किये जाते हों उनके विरुद्ध सरकार मुकद्दमा चलाये, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस बात के कारण पूरे पत्रकार व्यवसाय को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अन्य देशों के समाचारपत्रों के बारे में भी जानता हूं और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे समाचारपत्रों का नैतिक स्तर उच्च है।

मेरी आपत्ति यह है कि इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी जिला न्यायाधीश तथा जूरी होंगे। ऐसा करके सरकार प्रशासनिक न्याय की प्रणाली चला रही है। धीरे धीरे देश के कानून की पहिले जैसी प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है और विशेष प्रक्रियायें तथा न्यायाधिकरण स्थापित किये जा रहे हैं।

[डा० लंका सुन्दरम्]

न्यायाधीश तथा जूरियों से सम्बन्धित उपबन्ध आवश्यक नहीं हैं ।

हमने यह घोषित किया है कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है किन्तु यह तेजी से नौकरशाही राज्य होता जा रहा है । संसद्, राज्य विधान मण्डल तथा केन्द्र और राज्यों के मंत्री सुचारू रूप से प्रशासन नहीं चला सकते । सचिवालय का कोई छोटा सा कर्मचारी इस बात का निश्चय कर लेता है कि अमुक समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और अन्त में तदनुसार मुकद्दमा चलाया जाता है । मुझे तो यह आशा थी कि समाचारपत्रों के प्रबन्धक प्रेस के मालिकों के विरुद्ध कोई उपबन्ध रखा जायगा । बड़े बड़े आदमियों के पुत्रों तथा जामाताओं को ये प्रेस मालिक अपने प्रेस में लगा लेते हैं जिससे इनके कार्यों के विरुद्ध इनसे कोई कुछ न कह सके । यह अधिनियम देश के उन छोटे छोटे समाचारपत्रों के विरुद्ध, जो स्वतन्त्र नीति का अवलम्बन करते हैं, लगाया जायगा यही मेरी तीसरी आपत्ति है । इस विधेयक से मुझे नरेश संरक्षण विधेयक की याद आती है । मेरी चौथी आपत्ति यह है कि अधिकांश साप्ताहिक समाचारपत्र फुटकर छपाई का काम करने वाले प्रेसों में छापे जाते हैं । इस विधेयक द्वारा आप इन फुटकर छपाई करने वाले प्रेसों को इनको दिये गये काम के लिये उत्तरदायी ठहरायेंगे । यह बहुत आपत्तिजनक बात है ।

मेरी अन्तिम बात यह है कि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका आदि देशों में किसी मित्र देश के प्रधान के विरुद्ध कुछ लिखने पर समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई उपबन्ध नहीं है । उन के विरुद्ध देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया जाता है । हमारे देश के पत्रकारों की अपनी आचार संहिता है । मैं चाहता हूं कि यह अधिनियम निरंकुशता के साथ प्रवर्तित न किया जाय ।

डा० काटजू : मैंने पिछले तीन भाषणों को बड़ी रुचि के साथ सुना । मैं यह नहीं समझ पाता कि इस विशेष अधिनियम का 'श्रमजीवी पत्रकारों' पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा । इसका प्रभाव तो प्रेस के मालिक या किसी समाचारपत्र के प्रकाशक पर पड़ेगा । यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार कोई लेख लिखता है जो कि आपत्तिजनक है, तो मैं डा० लंका सुन्दरम् से पूछता हूं कि उस मामले में क्या किया जाय ?

डा० लंका सुन्दरम् : उसके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाय ।

डा० काटजू : मैं उत्तरदायी प्रेस की प्रशंसा करता हूं । उस प्रेस के मार्ग में रुकावट डालने का हमारा विचार नहीं है । हम तो ऐसे प्रेस को प्रोत्साहन देना चाहते हैं क्योंकि हमारा देश प्रजातन्त्र है और प्रेस का यह कर्तव्य है कि वह जनमत को व्यक्त करे और जनमत को जागृत रखे । यह राजनीतिक दलों का मामला नहीं है । कानून की सीमा के अन्तर्गत आप नीतियों को अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं । किन्तु आपत्तिजनक विषय की परिभाषा में प्रत्येक खण्ड भारतीय दण्ड विधान की पृथक् धारा है और इसमें दण्डनीय अपराधों का भी उल्लेख है । श्री गोपालन ने कहा कि इस अधिनियम को लागू करने में भेदभाव से काम लिया जायगा । उन्होंने यह कहा था कि रेलवे स्टेशन बुक स्टॉलों पर गन्दी पुस्तकें बहुत भेजी जाती हैं । किन्तु मेरा उनसे निवेदन यह है कि कोई भी माननीय सदस्य मुझे यह सूचित कर सकते हैं कि अमुक पुस्तक अश्लील है । श्री गोपालन ने ऐसी बात कही है जिस पर मुझे बहुत विचार करना पड़ेगा । मैं उन्हें उसका उत्तर दूंगा। भारतीय प्रेस

को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये कि उसके सम्मान में हमारा सम्मान है और उसके उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस अधिनियम से प्रेस के कार्यों को दबाया जायगा। यह अधिनियम तो प्रेस के लाभ के लिये ही है। डा० लंका सुन्दरम् ने कहा कि यह प्रशासनिक न्याय प्रणाली बन जायगी और इससे नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलेगा। किन्तु ये मामले तो योग्य सत्र न्यायाधीश के समक्ष जायेंगे और फिर उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। फिर क्या सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नौकरशाह हो गये हैं? ये नौकरशाह नहीं हैं। हमारे विचार स्वतंत्र होने चाहिये। हमें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि हम क्या चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वे क्या चाहते हैं; मैं समझ सकता हूं कि सरदार हुक्म सिंह क्या चाहते हैं किन्तु मैं नहीं जानता कि डा० लंका सुन्दरम क्या चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

कुछ माननीय सदस्य : मत विभाजन होना चाहिए।

सदन में मत विभाजन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में	१८५
विपक्ष में	४९

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

निष्क्रांत निक्षेप हस्तांतरण विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पाकिस्तान के साथ हुए करार के अनुसार निष्क्रान्त व्यक्तियों के कुछ निक्षेपों के पाकिस्तान भेजे जाने, विस्थापित व्यक्तियों के ऐसे ही निक्षेपों के भारत में लिये जाने और उस से सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्रीमान्, यह एक छोटा और सरल सा विधेयक है, किन्तु इस से विस्थापित व्यक्तियों की कुछ आशा बंधेगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक करार का परिणाम है और यह पारस्परिकता पर आधारित है। पाकिस्तान पहले ही एक अध्यादेश प्रख्यापित कर चुका है, जिस में कुछ प्रकार की चल-सम्पत्तियों के हस्तांतरण का उपबन्ध किया गया है। हम ने भी इसी अभिप्राय का अध्यादेश प्रख्यापित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य उस अध्यादेश के उपबन्धों को स्थायी रूप देना है।

इस विधेयक का पूरा महत्व समझने के लिए, माननीय सदस्यों के लिए, 'निक्षेप' शब्द की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक होगा। इस के तीन भाग हैं : (१) कोई चल सम्पत्ति जो किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय की अभिरक्षा में हो; (२) कोई भी चल सम्पत्ति जो कि प्रतिपालक-अधिकरण (कोर्ट आफ वार्ड्स) के अधीक्षण में हो और (३) कोई चल सम्पत्ति जो कि ऋण-भारग्रस्त सम्पदा अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रबन्धक की अभिरक्षा में हो। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि सामूहिक प्रव्रजन के क्षेत्रों से जिन की परिभाषा धारा ४ में की हुई है, किसी राजस्व या दीवानी न्यायालय के निक्षेप के विषय में सभी पक्ष निष्क्रांत व्यक्ति हों, तो उन निक्षेपों को पाकिस्तान भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार जिस मामले में अवयस्क और संरक्षक दोनों ही निष्क्रांत हों, तो वह निक्षेप भी पाकिस्तान भेज दिया जायेगा। प्रतिपालक-अधिकरण के मामले में जब कि प्रतिपाल्य एक निष्क्रांत व्यक्ति हो, तो निक्षेप पाकिस्तान भेज दिया जायेगा।

[श्री ए० पी० जैन]

पाकिस्तान द्वारा इसी के प्रत्युत्तर में बनाये गये विधान के आधार पर पाकिस्तान में उसी प्रकार के जो निक्षेप होंगे उन्हें भारत में भेज दिया जायेगा । इस के अतिरिक्त सामूहिक प्रवजन के क्षेत्रों में इस प्रकार के कुछ ऐसे निक्षेप हो सकते हैं, जिन में एक या एक से अधिक पक्ष निष्क्रांत हों और दूसरे न हों । इस प्रकार के मामलों में, विधेयक में सामूहिक हस्तांतरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं । अभिरक्षक प्रत्येक मामले पर विचार करेगा और निष्क्रांत व्यक्ति के हितों को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया जायेगा । हम और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो गये हैं कि दूसरी ओर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी ।

उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिन के विषय में हम सहमत नहीं हुए अर्थात् जिन क्षेत्रों से सामूहिक प्रव्रजन नहीं हुआ है, प्रत्येक मामले पर उस के गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा और केवल निष्क्रांत व्यक्तियों के हितों को पाकिस्तान भेजा जायेगा ।

इस विधेयक में एक और उपबन्ध है कि पाकिस्तान से भारत के निक्षेप अभिरक्षक को जो निक्षेप मिलेंगे, उन्हें या तो वह स्वयं दावेदारों में बांट दे अथवा यदि दावेदारों में उन निक्षेपों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो उन्हें दीवानी न्यायालय में भेजा जा सकता है जो कि उन पक्षों के अधिकारों का निर्णय कर देगा और तदनुसार निक्षेपों को बांट देगा । स्वाभाविकतया, अभिरक्षक को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जो कि प्राप्त निक्षेपों के सम्बन्ध में अधिकार के प्रश्न का निर्णय करने के लिए आवश्यक है । मुझे आशा है कि सदन यह अनुभव करेगा कि यह उन थोड़े से मामलों में से एक मामला है, जिन के सम्बन्ध में हम पाकिस्तान के साथ समझौता कर सके हैं और जो दोनों स्थानों के विस्थापित व्यक्तियों के लिए हितकर है । सदन यह भी अनुभव करेगा कि चूंकि इस विधेयक पर पाकिस्तान सरकार हम से सहमत है और चूंकि उस विधान के सम्बन्ध में जो कि पाकिस्तान सरकार ने बनाया है, हम भी उस से सहमत हैं, इसलिए इस विधेयक में संशोधन करने की गुंजाइश नहीं है । हम ने इस विधान के हर पहलू पर विचार किया है और मैं कह सकता हूं कि अपनी योग्यता के अनुसार हम ने समझौते के उपबंधों को क्रियान्वित किया है । मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान और हम उस भावना से इस विधेयक को क्रियान्वित करेंगे जिस भावना से हम इस पर सहमत हुए हैं । हम ने इस विधेयक के आधार पर सामग्री इकट्ठी करनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान ने भी इस प्रयोजन के लिए निदेश जारी कर दिये हैं । मैं आशा करता हूं कि दोनों ओर के विस्थापित व्यक्ति इस विधेयक से लाभ उठायेंगे ।

इन शब्दों के साथ, मैं यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

लाला अचिन्त राम (हिसार): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और न केवल हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट को ही बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेन्ट को भी तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्हों ने आज इस किस्म का एग्रीमेन्ट, गो तीन बरस बाद किया, लेकिन किया । खास तौर पर जब कि अभी तक इम्मूवेबल प्रापर्टी पर कोई एग्रीमेन्ट नहीं हो सका, ऐसी सूरत में ऐसा एग्रीमेन्ट होना बड़ी मुफीद चीज़ है जो कि रिफ्यूजीज के लिये हो सकती है । और इस बात का ख्याल करते हुए कि अभी तक हमारे इस मुल्क के अन्दर कम्पेन्सेशन देने की जो मशीनरी है वह जोर से फंक्शन नहीं कर रही

है, जितने भी ऐसे मेजर्स हों जिन से रिफ्यूजीज को रिलीफ मिल सके, उन का स्वागत करना जरूरी है ।

इस के साथ ही साथ जैसा मंत्री जी ने कहा कि यह मेजर रिफ्यूजीज के भले के लिये है, इस में कोई शक नहीं है कि यह रिफ्यूजीज के भले के लिये है, इसलिये रिफ्यूजीज दृष्टिकोण को सामने रखना भी निहायत मुनासिब बात है । रिफ्यूजीज हर ऐसे मेजर को इस दृष्टि से देखते हैं कि उस का पूरा फायदा किस तरह पर उन को हो सकता है । पाकिस्तान गवर्नमेन्ट और हिन्दुस्तान गवर्नमेन्ट ने भी जो कुछ किया है उस को सब रिफ्यूजीज वेलकम करते हैं । लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं

यह बिल जो पेश किया गया है, उस के साथ एक फाइनेन्शल मेमारैन्डम है और साथ में आब्जेक्ट्स और रीजन्स का स्टेटमेन्ट भी है । उस के अन्दर यह बात कही गई है कि इस बिल के पास होने के बाद कस्टोडियन मुकर्रर होंगे और इस के अलावा तीन असिस्टेन्ट कस्टोडियन मुकर्रर होंगे । साथ ही यह भी लिखा गया है । "अनुमान लगाया गया है कि १९५४–५५ में कर्मचारी-वृन्द पर कुल ९५,००० रुपये व्यय होंगे ।" तो यह जो खर्च है ९५,००० रु० वह कितना भी हो, चाहे दो करोड़ रुपया हो, कितना भी खर्च हो, यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन मुझे इसे पढ़ कर थोड़ा शक सा गुजरा कि यह जो खर्च रखा गया है यह १९५४–५५ के लिये है, तो इस बिल के बनाने वालों का मंशा क्या है । क्या वह इस मामले के इस साल से परे भी जाने का ख्याल करते हैं या इस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं । चूंकि यह बजट १९५४–५५ के लिये है न कि तीन या छः महीने के लिये, इस लिये यह ख्याल हो सकता है कि कहीं यह और आगे जाने वाला तो नहीं है । जहां तक रिफ्यूजीज के मेजर्स का सवाल है अगर आप फैसला भी कर लें कि रिफ्यूजीज को ५० करोड़ रु० मिलेगा, लेकिन १९७० में मिलेगा तो इस से कोई रिलीफ नहीं मिलती । ज़रूरत इस बात की है कि जो भी रिलीफ मिले वह जल्दी मिले । इस का इन्तजाम होना चाहिये । मैं महसूस करता हूं कि गवर्नमेन्ट के दिल के अन्दर यह ख्याल होगा, लेकिन उस ने जो मेजर पेश किया है, उस का ख्याल करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि रिफ्यूजीज का इन्टरेस्ट इस में जरूर है कि वह डिपाजिट मिलें, लेकिन इस से ज्यादा ज़रूरत इस बात की है डिपाजिट्स जल्दी मिलें । इसलिये मैं कहूंगा कि अगर आप इस मामले को २, ४ या ६ महीने में खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा । आप कोशिश करेंगे यह तो है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूंगा अगर दोनों गवर्नमेन्ट मिल जायें और जब उन्हों ने यह एग्रीमेन्ट किया है तो कुछ समय भी सेल्फ इम्पोज कर लें कि इस में चूंकि रिफ्यूजीज का सवाल है इस लिये इस को ३, ४ महीने में खत्म करना है । और अगर इतने समय के बाद मियाद बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो तो आप पार्लियामेन्ट के सामने फिर आ जाइये कि हमें २ या ४ महीने की और जरूरत है । मैं देखता हूं कि जब मेरी जेब में ५० रु० पड़े होते हैं तो मैं उन को जल्दी जल्दी खर्च करने की सोचता हूं, लेकिन जब मेरे पास ४ आने ही होते हैं तो मैं बहुत सोच विचार कर और देर में उस को खर्च करता हूं । इसलिये आप को चाहिये कि आप पहले एक समय मुकर्रर कर लें और अगर फिर भी वह खत्म न हो तो दुबारा मियाद बढ़वा लें । हम सब तो यही चाहते हैं कि यह काम जल्द से जल्द खत्म किया जाय । यह तो मुझे पता नहीं कि ऐग्रीमेन्ट के अन्दर यह चीज़ हो सकती है या नहीं, कि हम तीन महीने में इस काम को खत्म करेंगे, लेकिन हो सके तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिये । रिफ्यूजीज के इन्टरेस्ट का ख्याल करते हुए आप को आस्टेरिटी आफ टाइम जरूर कर लेना चाहिये ।

[लाला अचिंतराम]

इस के बाद अब मैं रिफ्यूजीज के दिल की बात कहूंगा । मेरा ख्याल है कि उस को भी आप के सामने मुझे रखना चाहिये क्योंकि मुमकिन है कि आप के सामने यह मामला न आया हो । जैसे आप देखते हैं कि हम कम्पेन्सेशन की बात करते हैं और आम तौर पर हम कहते हैं कि १० परसेन्ट हम देंगे, पांच परसेन्ट हम देंगे । और बड़ा जोर लगा कर हम २० परसेन्ट पर आते हैं । लेकिन रिफ्यूजीज के लिये एक पैसा भी बड़ी चीज़ है । मुझे यह ख्याल आता है कि यह जो डिपाजिस्ट्स हैं उन को पड़े हुए सिविल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स में ६ साल से ऊपर हो गये हैं, और आठ या दस साल हो गये हों तो कोई ताज्जुब नहीं है । जो डिपाजिट्स हैं भी वह गवर्नमेन्ट के पास हैं । इस गवर्नमेन्ट के या पाकिस्तान गवर्नमेन्ट के । इसलिये कोई नहीं कह सकता कि जो रुपया है वह वैसे ही पड़ा हुआ है । तो जिस तरह से आर० एफ० ए० का मामला है, उनको रुपया देने की बात हुई और कहा गया कि हम व्याज जरूर लेंगे । मैं तो यह नहीं कहता हूं कि आप व्याज न लें, लेकिन १ परसेंट लें । मुझे मालूम नहीं कि ऐग्रीमेन्ट के अन्दर आप ने इस बारे में कुछ किया है या नहीं, लेकिन उन का जो रुपया है, उस का उन को व्याज मिलेगा या नहीं ? वैसे तो आप गवर्नमेन्ट में हैं, जितना चाहेंगे ले लेंगे, लेकिन मैं रिफ्यूजीज की ओर से कहता हूं कि अगर आप ने रिफ्यूजीज से ६ बरस के अन्दर ३ परसेन्ट भी लिया तो जा कर १८ परसेन्ट हो गया । इस को छोड़ दिया जाय, रिफ्यूजीज की तरफ़ नेकनियती होने के ख्याल से तो बड़ी भारी बात होगी । आप का पाकिस्तान का एग्रीमेन्ट हुआ है । आप कहेंगे कि हमें पाकिस्तान गवर्नमेन्ट को देना पड़ेगा । उन का रुपया इस्तेमाल किया है । लेकिन क्या आप ने रिफ्यूजीज का रुपया इस्तेमाल नहीं किया है जो कि उस के पास था । तो यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है । मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि इस को कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि आप की नजर के सामने जो गरीब आदमी हैं, रिफ्यूजीज हैं उन की हालत क्या है । वह आ कर मुझ से कहते हैं कि हम क्या करें । मैं कहता हूं कि जाओ मंत्री के पास । आज मैंने कहा कि चूंकि बिल पेश है इस वास्ते आज इस को न उठाओ । और वह अपने घर चले गये । वह अक्सर मेरे पास आते रहते हैं । गरीब आदमी हैं, उन के लिये दो पैसा बड़ी चीज़ होती है । इसलिये अगर यह नामुनासिब हो तो न किया जाय, लेकिन अगर आप इसे मुनासिब समझें, और मुनासिब यह है ही मेरी दानिश में, तो आप इस का प्राविजन कर लें । आप को उन को कुछ न कुछ पैसा देना ही चाहिये ताकि गरीब आदमियों को कुछ आराम मिल सके ।

मैं इस से ज्यादा नहीं कहना चाहता । आखिर में मैं आप को बधाई देता हूं कि आप ने यह काम किया । सिर्फ यह है कि इस को जल्द से जल्द किया जाय ताकि उन्हें रिलीफ मिले ।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस से विस्थापित व्यक्तियों को कुछ न कुछ सहायता मिलेगी । माननीय मंत्री ने यह आशा प्रकट की है कि पाकिस्तान समझौते को कार्यान्वित करेगा, यद्यपि पहले हमारा अनुभव यह रहा है कि पाकिस्तान ने कई बार कुछ समझौते कार्यान्वित नहीं किये और यदि किये हैं, तो आंशिक रूप से । मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी अपनी सरकार समझौतों को कार्यान्वित करने में बहुत देर लगा देती है । मैं उस समझौते की ओर निर्देश करता हूं जो कि १९५० में निष्क्रांत व्यक्तियों की नाशवान चल सम्पत्ति के सम्बन्ध

में किया गया था। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान से एक चैक प्राप्त हुआ था किन्तु उस का धन अभी तक बांटा नहीं गया है, यद्यपि इसे प्राप्त हुए दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है।

एक और समझौते के सम्बन्ध में सदन को विदित है कि कोई व्यक्ति आयकर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना पाकिस्तान से नहीं जा सकता। हमारी सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया है उस से प्रकट होता है कि हमारी सरकार ने इस बात पर आग्रह किया था कि प्रमाणपत्र न मांगे जायं। पाकिस्तान ने उस समय यह बात नहीं मानी थी। मैं नहीं जानता कि अब उस ने यह मान लिया है या नहीं। यदि पाकिस्तान न माने, तो यहां से किसी विस्थापित के लिए वहां जा कर कुछ ले आना कठिन होगा। अतः जब तक यह प्रतिबन्ध हटाया नहीं जायेगा, समझौते का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

तीसरी बात जिस की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, अन्य प्रकार की चल सम्पत्तियों के बारे में है, जिन में लाकरों के निक्षेप गहने गैरनिष्क्रांत संयुक्त स्कन्ध, समवायों की सम्पत्तियां आदि सम्मिलित हैं। यद्यपि ६।। वर्ष से अधिक समय बीत चुका है इस प्रकार की सम्पत्ति के बारे में कोई समझौता नहीं किया गया। हमारी सरकार तो समझौता करने के लिए उत्सुक है, परन्तु दूसरी ओर से कुछ न कुछ अड़चन डाल दी जाती है।

अचल सम्पत्ति के बारे में प्रेस नोट में कहा गया है कि नगरीय तथा कृषि सम्पत्ति के प्रश्न पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने विचार किया था, परन्तु कोई निर्णय नहीं किया जा सका। आप देखेंगे कि मुख्य प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में, जिन का मूल्य करोड़ों रुपये है, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया। मेरे विचार में यदि वर्तमान स्थितियों में कोई समझौता नहीं हो सकता तो सरकार को एक पक्षीय कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से विस्थापित व्यक्ति ऐसे हैं, जो अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्हें शीघ्र पुनर्वासित करना अत्यावश्यक है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति, घरेलू सम्पत्ति और गड़े कोषों के बारे में एक समझौता किया गया है किन्तु लोग वास्तव में यह नहीं जानते कि इस सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किये गये हैं। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से कि प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति ये जान सके कि विस्तृत निदेश क्या हैं। उन्हें प्रार्थना पत्र देने के लिए सब सुविधाएं देनी चाहिएं। केवल सरकारी सूचनापत्र में या समाचारपत्रों में प्रकाशित कर देने से लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत से लोग निरक्षर हैं और देश भर में दूर दूर तक फैले हुए हैं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिण्डा): मैं अपने को धोखा नहीं देना चाहता। इसी कारण जो कुछ मेरे मस्तिष्क में है उसे मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं।

इस विधेयक के खण्डों के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। यह तो हमारे करार के परिणामस्वरूप हुआ है। इस में हम कहीं पर भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं कर सकते।

मेरा अपना विचार यह है कि हम ने जितने भी करार किये हैं उन सभी में हमें हानि ही उठानी पड़ी है। पाकिस्तान ने सदैव उन्हीं बातों को स्वीकार किया है अथवा केवल उतना ही करने के लिये स्वीकृति दी है जिस को वह अपने देश के हित में समझता है।

आज के समाचारपत्र में मैं ने जब यह समाचार देखा कि नेहरू-लियाक़त समझौते (१९५०) के अनुसार १३०० मुसलमान सहारनपुर में बसने के लिये आ रहे हैं तो मुझे इस बात पर सोचना पड़ा कि क्या वास्तव में ऐसा समझौता हुआ भी था। एक अन्य

[सरदार हुक्म सिंह]

पटसन करार के सम्बन्ध में मुझे श्री नियोगी का कथन वास्तव में अक्षरशः सत्य जान पड़ा क्योंकि पाकिस्तान उस समझौते को केवल वहीं तक मानने को तैयार था जब तक कि उसे कोयले का पूरा मासिक कोटा मिलता रहे। वास्तव में पाकिस्तान के हित में इतना ही था और इसलिये वह इस बात पर तैयार था।

तत्पश्चात् अपहृत स्त्रियों के विषय में बात आती है। पाकिस्तान ने जिन अपहृत स्त्रियों को हमें लौटाया है वे कैम्पों की ही हैं जहां वे पहले से ही मौजूद थीं और ऐसे व्यक्तियों से बहुत कम संख्या में प्राप्त हुई हैं जिन्हों ने उन का अपहरण किया था।

इसी प्रकार अन्य करारों के सम्बन्ध में भी अन्य मित्रों को आश्वासन दिला सकता हूं कि पाकिस्तानियों ने जितने भी करार किये उन में से किसी के अनुसार भी कार्य करने की चिन्ता नहीं की। करार की शर्तें चाहे कुछ भी हों किन्तु उस को कार्यान्वित करना तथा जिस विचार से वे कार्यान्वित किये जाते हैं, यह चीज़ अधिक आवश्यक होती है। अतः अन्य करारों की भांति ही इस की भी दशा होगी, ऐसी मुझे आशंका है। हमारी कुछ सदिच्छायें हैं। हम ने अपनी आशा भी प्रकट कर दी है। किन्तु मुझे सन्देह है कि इस करार से कोई लाभ निकल सकेगा।

यह करार मूलतः १९५० में किया गया था। १९५३ में हमारे प्रतिनिधि पाकिस्तान गये और उन्हें सन्तोष था कि करार हो गया है। किन्तु जब हम ने देखा कि विधान उस करार का एक अंश मात्र है और जब करार पर विचार किया गया तो और भी निराशा हुई। यह तो हमारे लिये हानिकर ही सिद्ध हुआ। इस से तो अच्छा यही होता कि हमें अपनी आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े मिल जाते। क्या कोई कर-निर्धारण किया गया है? अन्य कारक भी हो सकते हैं किन्तु उन का निश्चय नहीं किया जा सकता। करार अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया गया है। कोई भी निर्णय नहीं किया जा सका जैसा कि स्वाभाविक भी है। उन्हों ने कहा है कि काशमीर की समस्या हल होने से पूर्व निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी तय नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्हों ने यह भी कहा है कि इस अमरीकी सहायता से काशमीर की समस्या सरल हो जायगी। उन का कथन है कि वे सारी समस्याओं को अस्त्र-शस्त्र की सहायता से हल करना चाहते हैं। अतः निष्क्रान्त सम्पत्ति की समस्या इस प्रकार हल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से कुछ भी आशा करना व्यर्थ है। वहां के लोग बड़े चालाक हैं। वे इस सारे मामले पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हैं, ईश्वर ही जानता है कि ये सब चीजें कब तक चलेंगी।

अब चल सम्पत्ति के करार की ओर देखिये। उस में कहा यह गया है कि इस को शीघ्रगामी बनाने के लिये सभी कार्यवाहियां की जायेंगी। हम तो इस के अनुसार उन की सारी सम्पत्ति तथा वस्तुएं अथवा उन का मूल्य लौटा देंगे किन्तु क्या वे लोग भी ऐसा करने के लिये तैयार हैं? वे ऐसा नहीं करेंगे। मैं इस कथन की पुष्टि के लिये उदाहरण भी उद्धृत कर सकता हूं। हैदराबाद की एक राजकुमारी के घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े तथा बहादुरगढ़ फ़ार्म के मामलों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वे अपने वचनों का कितना पालन करते हैं। फ़ार्म वाले मामले का अभी निर्णय जूरी के द्वारा होना शेष है। इसी प्रकार एक ख्याति प्राप्त वकील साहब का बहुत बड़ा पुस्तकालय पाकिस्तान में छूट गया था। यद्यपि वहां के गवर्नर-जनरल आदि द्वारा उसे वापस लौटा देने की अनुमति दे दी गई थी किन्तु अन्त को उन से कह दिया गया कि पुस्तकालय में एक

भी पुस्तक नहीं पडी है जिसे वापस किया जा सके ।

इस के विपरीत १९५२ में एक पाकिस्तानी पहाड़गंज से ५०,००० रु० जो गड़े हुए थे, खोद कर ले गया था किन्तु हमारे यहां के लोगों के पास रसीद होने पर भी उन्हें अपना माल वापस नहीं मिलता है । अतः इस प्रकार के करारों से हम को कुछ भी लाभ होने का नहीं ।

मेरे किसी मित्र ने कल कहा था कि एक लाख रुपये में से वह कुछ रुपया हम को देंगे । यदि ५० लाख रुपये अथवा एक करोड़ रुपये में से वे हम को एक लाख रुपया भी दे देते हैं तो भी हमें उसी से सन्तोष करना चाहिये । इतने से ही हमारे शरणार्थियों का कुछ तो भला हो ही जायगा । अतः इस विधेयक को पारित हो जाने देना चाहिये । देखें आगे क्या होता है ?

जो लोग इस करार के सम्बन्ध में वहां गये थे उनको स्थिति का पूर्णतया ज्ञान नहीं था । मेरे माननीय मित्र मंत्री महोदय मुझे क्षमा करें किन्तु मुझे वास्तव में करार की शर्तों को पढ़ कर दुःख हुआ । यह तो उस चल सम्पत्ति के विषय में निर्देश करता है जो संरक्षकों, मित्रों अथवा सम्बन्धियों के पास रह गई है । इस प्रकार क्या हमारे देश वालों को कुछ भी सम्पत्ति मिल सकेगी क्योंकि उन के कोई भी मित्र अथवा सम्बन्धी वहां नहीं होंगे । कहा यह जाता है कि यदि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले किसी भी भारतीय का वहां कोई सम्बन्धी है, जिस के पास उस ने कुछ सम्पत्ति छोड़ी है, तो वह सम्पत्ति उसे मिल सकती है । क्या हम वास्तव में ऐसा समझते हैं ? मैं तो कहूंगा कि ऐसा करार कर के हमारे साथ विश्वासघात किया गया है ।

तत्पश्चात् अभिरक्षकों के पास जो सम्पत्ति है उस का उल्लेख किया गया है । पाकिस्तान में सारी आस्तियों को बुरी तरह लूटा गया और बहुतों को वहां से दूसरी जगह हटवा दिया गया । मन्टगुमरी के डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं ताला तुड़वा कर तमाम सम्पत्ति एकत्रित की । बाद को उस का क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला । पाकिस्तानियों से कह दिया गया था कि लूटी हुई सम्पत्ति का १० प्रतिशत वह स्वयं ले लें और शेष ९० प्रतिशत पाकिस्तान के विकास के लिये जमा कर दें । अतः अधिकांश सम्पत्ति पाकिस्तान के विकास हेतु सामान्य समूहन में रख दी गई थी ।

क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों ने यह करार किया था उन्हों ने कभी यह जानने की चेष्टा की थी कि ऐसी कोई सम्पत्ति है भी या नहीं ? और क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी कि यदि चल सम्पत्ति का अधिकांश भाग अभिरक्षकों के पास नहीं है तो क्या हमें कुछ मिल सकेगा ? क्या अब भी अधिकारी यही समझते हैं कि इस करार के द्वारा हमें कुछ मिला है ? क्या हम आशा करें कि हमें भी कुछ मिलेगा ?

इस को कार्यान्वित करने के लिये भी कह दिया गया है । माननीय मंत्री ने इस करार के विषय में कुछ कहा था । इस करार के अनुसार ही हम यह विधान बना रहे हैं अतः इस से करार को अलग नहीं किया जा सकता । अन्य उपबन्धों के लिये विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

यह कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार भी इसी प्रकार की व्यवस्था कर रही है ।

क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो गई है कि पाकिस्तान ने अपने अभिरक्षकों को निदेश जारी कर दिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन को अपनी उन आस्तियों के विषय में ज्ञात है जो अभि-

[सरदार हुक्म सिंह]

रक्षकों के पास हैं ? हमारे देश की तुलना में उन की आस्तियों का प्रतिशत क्या है ? क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि उन्हों ने हमारे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि निष्क्रान्तों द्वारा नकद अथवा सोना-चांदी के अन्य देशों में लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । मेरा निष्कर्ष भले ही गलत हो किन्तु क्या इन शब्दों का वही अर्थ है जो होना चाहिये । अभी यह सुझाव ही है किन्तु क्या पाकिस्तान ने हमारे सुझाव को स्वीकार कर लिया है या अस्वीकार कर दिया है अथवा अभी कोई उत्तर नहीं दिया है । हमें यह तो जानना ही चाहिये कि पाकिस्तान ने इस को स्वीकार किया है अथवा नहीं ।

इस करार का केवल एक परिणाम होगा और वह यह कि हम पाकिस्तान को कुछ लाख रुपया और देंगे और वह मजे उड़ायेगा । इस के अतिरिक्त कुछ होने का नहीं । मैं माननीय मंत्री को यह जतला देना चाहता हूं कि यहां से कुछ आस्तियां भेजने से पूर्व अथवा किसी ऐसे कार्य को करने से पूर्व कि जिस से हमारे निष्क्रान्त समूहन में कमी हो, यह देख लें कि दूसरी ओर से भी करार को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं । इस से अधिक मैं और कर ही क्या सकता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विषय में मेरे दोस्त, सम्माननीय मित्रों ने पाकिस्तान की सरकार को और हिन्दुस्तान की सरकार को बधाई दी है । मुझे बताया नहीं गया कि बधाई देने का समय आया है या नहीं, मैं अभी इतना ही कहूंगा कि बधाई देने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । हमारे मराठी में एक कहावत है कि धूर्त आदमी के यहां भोजन का निमंत्रण आये तो भोजन करने के पश्चात् उसको सच्चा मानना चाहिये । उसी तरह से खास कर के पाकिस्तान के साथ जब आपका समझौता होता है तो आप को बधाई देने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज तक पाकिस्तान का और हमारा व्यवहार चल रहा है उसको देखने के पश्चात् भी हमारी सरकार आशा करती रहती है और उसको निराशा होती है । हमारे अर्थ मंत्री बड़े साक्षेपी हैं, बड़े काशस हैं । उनकी सावधानता के बावजूद भी हमने देखा कि दो वर्ष पहले उन्होंने ९ करोड़ रुपया बजट में रखा । दूसरे साल उस को १८ करोड़ रखा । वह मिला नहीं, तो अब तीसरी साल उन्होंने फिर ९ करोड़ रखा है । हमारी आशा अनन्त है, पाकिस्तान की तरफ से हमारी आशा का कभी भी अन्त नहीं होता, यह हम देखते हैं । इसी के कारण पाकिस्तान की और हमारी मैत्री इस प्रकार से चल रही है । आज तक मैं समझता था कि हमारे प्रधान मंत्री की आशा बड़ी अनन्त थी और वह कहा करते थे "दैट ग्रेट नेबरली स्टेट आफ पाकिस्तान" "वह पड़ोसी पाकिस्तान का महान राष्ट्र" । हमारे हृदय में आज भी उन के लिये बहुत प्रेम होते हुये काश्मीर का विचार करते हुये हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुये संदर्भ में, परिवर्तित संदर्भ में, हम को काश्मीर के बारे में दूसरी तरह विचार करना चाहिये । हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान अमेरिकन 'एड' लेकर शायद हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण करे । प्रधान मंत्री ऐसा नहीं कहते, वह कहते हैं कि दुनिया में बड़ी क्रांति होगी, अशान्ति होगी, इसलिये वह नाराज़ हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि शायद लड़ाई होगी । तो उसी के साथ एक हज़ार से ज्यादा पाकिस्तान के लोग सहारनपुर में आ रहे हैं कि जो सन् १९४७

में यहां से गये थे । इस सम्बन्ध में मैं पूछता हूं कि वहां से यहां आने वाले लोगों में से कितने लोग आपने करांची भेजे, कितने लाहौर में भेजे ।

एक माननीय सदस्य : सात हजार आये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : सात हजार आये, मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है । ये हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय हैं या नहीं, मुझे पता नहीं । शायद पाकिस्तान की राष्ट्रीयता, नैशनैलिटी, उन को मिली होगी । मैं तो कहूंगा कि यह सात हजार की फौज हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने को आ रही है । यह मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन भय के कारण मुझे ऐसा कहना पड़ता है । हमारी भारत सरकार की जो नीति चल रही है उसको देखने के पश्चात यह बातें कहना पड़ती हैं । इसलिये मैं गवर्नमेंट को बधाई नहीं दे सकता, जिस तरह से कि औरों ने इस विधेयक के लिये बधाई दी है ।

यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, इस के सम्बन्ध में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के सामने बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि हमारे एक मंत्री के पीछे दूसरे मंत्री इस सदन के सामने विधेयक लाते हैं और उसका जो संशोधन करना चाहते हैं, तो वह इस तरह हमारे माननीय हाउस को सरप्राइज़ (आश्चर्य) से लेते हैं, वह सदन को आश्चर्य में डाल देते हैं, जैसे कि हम परीक्षा देने के लिये एग्जामिनेशन हाल में जाते थे तो फिर देखते थे कि पेपर में क्या आ जाता है, आज कौन सी टाल्मी की थ्योरम आ गई या ऐसी चीज आ गई जो अब तक पढ़ी नहीं थी । तो इस तरह यह आक्षेप मैं माननीय मंत्रियों के लिये करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री को एक बात और कहना चाहता था कि आज जो व्याख्यान में बातें बताई हैं वह एक व्हाइट पेपर में हमको दी जातीं तो अच्छा था । लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने मेरे उस आक्षेप को भी निकाल दिया, क्योंकि भाषण में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यह समझौता क्या है, ऐग्रीमेंट क्या है । खास कर के हमारे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह जी ने यह बताया कि हम को पता नहीं कि हमको पाकिस्तान से कितना पैसा मिलेगा और पाकिस्तान को यहां से कितना पैसा जायेगा यह बात जब तक हमको मालूम नहीं होती तब तक गिडवानी साहब जैसा समझते हैं उस तरह की आशा के लिये भी कोई स्थान नहीं रहता । वहां से आने वाला पैसा थोड़ा हो तो यह भी नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारे लोगों का पैसा वहां ज्यादा था । फिर इनकम टैक्स वगैरह का भी हम को पता नहीं और यह भी नहीं होना चाहिये कि इस वजह से उनका पैसा कम किया जाये । यहां का पैसा ज्यादा चला जायगा तो जो फंड रिफ्यूज़ीज के लिये यहां है वह कम हो जायेगा । यह हुआ तो मैं समझता हूं कि इवैक्युईज को जो आशा दिलाई गई थी इस इंटैरिम कम्पनसेशन के बारे में, आगे आने वाले मुआवजे के बारे में, तो उसका भी खतरा पैदा हो सकता है । इसलिये यह हमारे रिफ्यूज़ीज को, शरणार्थियों को वरदान न होते हुये एक श्राप हो सकता है। इस कारण मैं समझता हूं कि यह विधेयक हम तब तक स्वीकृत नहीं कर सकते ।

यह तो ठीक है कि आप का और पाकिस्तान का समझौता हो गया है, आप ने हमारे हाथ बांध दिये । हमारे हाथ बांधने के बाद फिर आपने इस को आर्डिनेन्स के ज़रिये बरताव में भी लाना शुरू कर दिया है । अब आप का बहुमत है, आप इस को स्वीकार करा लें, लेकिन हमको इन कारणों से यह स्वीकार नहीं हो सकता । हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ ज्यादा विरोध भी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे दिल की जो बात है वह हम जरूर कह सकते हैं। इसलिये हमारा कहना है कि यह हो सकता है कि इस विधेयक के द्वारा हिन्दुस्तान का और गरीब शरणार्थियों का फायदा होने की बजाय उनका नुकसान होगा। इस के बारे में हमको पहले मिनिस्टर साहब की तरफ से फिगर्स (आंकड़े) मिलने चाहिये। आगे चल कर डिसप्लेस्ड परसन की और इवैक्युई की जो यहां पर व्याख्या दी गई है इस से भी मेरे दिल में बड़ा डर पैदा हो रहा है।

१९४७ के बाद जो कोई यहां से चला गया होगा उसको आपने रिफ्यूजी ठहराया है। हमने जो निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम का पुनःस्थापन पास किया था उसमें इच्छुक निष्क्रांत के बारे में बहुत से बंधन लगाये थे और दो साल के अन्दर जो कोई इम्मूवेबल प्रापरटी (अचल सम्पत्ति) का कारोबार होता है उसके बारे में भी हमने बन्धन लगाया था, कोर्ट को भी पावर थी और उसके अन्दर कस्टोडियन को भी हमने पावर दी थी। अब जिसकी मूवेबल प्रापरर्टी (चल सम्पत्ति) है और जो यहां से चला जाता है उसको हम इवैकुयी डिक्लेयर करते हैं, उसका पचास हजार रुपया कोर्ट में डिपाज़िट है, तो वह आज अगर उठ कर पाकिस्तान में चला जाता है तो उसका पैसा आपको इस कानून की रू से भेजना पड़ेगा, उस पैसे को यहां भारत में रोक रखने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमारा कुछ है नहीं, बहुत थोड़े इने गिने लोग हैं, इस कारण उधर से आने वालों को कोई बहुत फायदा हो नहीं सकता है, हां इधर से जाने वाले लाखों और करोड़ों रुपये लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यह भी बन्धन लगाया था कि हम माहवार इतना भेज सकेंगे, इस प्रकार के बहुत से बन्धन लगाये थे, इस बिल में इस प्रकार का कोई बन्धन न होने के कारण यह कानून एक खतरनाक और नुक़सानदेह चीज़ देश के लिये साबित हो सकता है। बहुत ज्यादा इस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन इस सदन के सामने मेरे हृदय में जो इसके विरुद्ध एक शिकायत है वह रखना चाहता हूं। मालूम होता है कि पाकिस्तान से हमारा जो व्यवहार हो रहा है उस बर्ताव में पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और एक समझौते से काम चल रहा है यह दुनिया को बताने के लिये कहीं छोटी २ बातों में हम शायद कोई ऐसी चीज़ न कर बैठें, जैसा कि सरदार हुक्म सिंह ने बताया कि इस आशा में कि वहां पाकिस्तान से सोना और पैसा लाने देंगे, यहां से करोड़ों रुपये भेजने की इजाज़त आप इस एग्रीमेंट की रोशनी में दे दें, यह डर और आशंका मैं मंत्री महोदय के सामने प्रगट करना चाहता हूं और मैं तो चाहता था कि मंत्री महोदय हमारे सामने सारे फीगर्स और आंकड़े रखते। खैर यह बिल तो अब पास ही हो रहा है, मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार के पाकिस्तान के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स हुये हैं वह सदन के सामने रखे जायेंगे और सदन को उन पर विचार करने का अवसर मिलेगा। मेरी समझ में मंत्री महोदय के पास फीगर्स ज़रूर आये होंगे कि उधर कोर्ट्स में कितना रुपया जमा है, आप पता लगा सकते हैं और अपने देश के डिपाजिट से मुकाबला करके देख सकते हैं कि अगर वहां की फीगर कम है तो आप को वहां पैसा भेजना है या नहीं और सब से बड़ी बात हमारी सरकार को यह भी देखनी है कि इस एग्रीमेंट के फलस्वरूप पाकिस्तान की तरफ से पैसा आता है या नहीं, आया है या नहीं, यह सब देखने के बजाय हमारे मंत्री लोग कहें

कि हम तो सात्विक हैं, हम बड़े नीतिमत्ता के पुजारी हैं, पाकिस्तान कुछ भी करे, हम तो जो उचित और योग्य है उसे अवश्य करेंगे और किसी की नहीं मानेंगे, इस तरह से एक गुस्से में आकर ऐसी बात कह कर हिन्दुओं का नुकसान और अहित न करें, बस इतनी ही मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तोड़) : श्रीमान्, सदनमें जितने भी भाषण हुये हैं, उन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात से सभी सहमत हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है । जब स्थिति यह है तो हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि हमें उन पर भरोसा नहीं है । दो पक्षों में से एक पक्ष जब किसी करार की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह करार ही क्या हुआ ? एकपक्षीय करार कोई करार थोड़े ही होता है ? हमें मालूम है कि अपहृत व्यक्ति प्राप्ति अधिनियम, निष्क्रांति सम्पत्ति अधिनियम तथा पाकिस्तान के साथ हुये व्यापारिक करारों की क्या हालत हुई । उस से हमारी आंखें खुल जानी चाहियें थी तथा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये था कि क्या हम ऐसे राष्ट्र पर भरोसा कर सकते हैं जो कि शिष्टाचार के नियमों अथवा एक सभ्य देश के नियमों का भी पालन नहीं कर सकता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुये इस तरह का कानून बनाने का फायदा ही क्या है ? यदि हम अपनी शर्तें मनवाने में शक्तिशाली होते तो हम ने इसकी परिभाषा के अन्तर्गत वह सारा धन तथा सारी सम्पत्ति लाई होती जो कि दबा के रखी गई है, अथवा जो बैंकों के पास है अथवा जो अधिकारियों के पास पड़ी हुई है । निष्क्रांति सम्पत्ति अधिनियम केवल अचल सम्पत्ति पर लागू होता है, यह कभी भी चल सम्पत्ति पर लागू नहीं किया गया था । यहां इस विधेयक में हम देखते हैं कि चल सम्पत्ति की परिभाषा सीमित रखी गई है । इसके अलावा इसकी और भी कई परिसीमायें हैं ।

हमें मालूम है कि सिन्धी भारत में बड़े धनी लोग माने जाते थे । उनका करोड़ों रुपया जमीन के अन्दर दबा हुआ है । क्या हम उसे प्राप्त कर सकेंगे ? हम उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे । हम उन डिपोज़िटों अथवा सिक्युरिटियों को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिनका कि इस विधेयक में उल्लेख किया गया है । दूसरे पक्ष के रवैये को देखते हुये माननीय मंत्री को चाहिये था कि वह एक श्वेतपत्र (वाइट पेपर) जारी करके हमारे सामने सारे तथ्य रखते । उन्हें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी जब तक कि वह वहां भी कानून पास न करते ।

श्री ए० पी० जैन : उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है । हमारे पास इसकी एक प्रति है ।

इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने भी निष्क्रान्ति निक्षेप अध्यादेश, १९५४ जारी करके दोनों देशों के बीच हुये करार को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : खतरा तो इस बात का है कि अध्यादेश जारी करने के बाद वह विधान पास न करें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उन्हें पहले वह अधिनियम पास करने दीजिये, फिर इसे इस सदन के समक्ष रखिये ।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध पेचीदा होते जा रहे हैं । उनमें और भी खिंचाव होता जा रहा है । हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि कहीं इस तरह का विधान हमें उन निक्षेपों से वंचित न करे

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जो कि गरीब शरणार्थियों को दिये जा सकते हैं। शरणार्थियों ने स्वराज्य प्राप्ति के लिये बलिदान दिया है। हमें उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें देने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि कहीं कोई धन यहां से पाकिस्तान न चला जाये।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी संसद् में विचारार्थ है उस के सम्बन्ध में अगर विस्तार पूर्वक कहा जाय तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि बहुत समय नहीं है। दुर्भाग्यवश जिस समय से पाकिस्तान की सृष्टि हुई है, इस सरकार में और पाकिस्तान सरकार में न जाने कितने एग्रीमेंट हुए। उनका कोई हिसाब नहीं है। और जब जब यहां कोई बात आती है तो हमारी सरकार के मंत्री या और लोग बार बार यही कहते हैं, जहां तक मुझे याद है, पहले गोपाल स्वामी अयंगार भी कहा करते थे, और अब यह लोग भी कहते हैं कि क्या करें पाकिस्तान सरकार हमारी बात नहीं मानती। सभापति महोदय, यह भी कहा जाता है कि जैसे वह करते हैं वैसे ही हम भी करें। सीधी बात तो यह है कि यह ठीक है कि हमें हर सूरत से कोशिश करनी चाहिये कि जिस किसी व्यक्ति से या समाज से, राष्ट्र से, हम कुछ शर्त शरायत करें, उसके मुताबिक हमको चलना चहिये। इसमें कोई शक या शुबह नहीं होना चाहिये। न किसी को सन्देह करने की जगह ही है। लेकिन इसके साथ साथ इतना ख्याल भी होना चाहिये कि दूसरे से भी हम उसी शरत शरायत के मुताबिक काम करा सकें। केवल यह कह देना कि हम को ही ठीक रहना चाहिये, ठीक नहीं है। सभापति महोदय, ऐसे लोगों के लिये समाज में जगह नहीं होनी चाहिये। यह तो मैं मानता हूं कि हमको ठीक रहना चाहिये, लेकिन इसके साथ साथ हम में इतनी ताकत होनी चाहिये कि जिससे भी हम को सरोकार हो, उस को हम ठीक रास्ते पर ला सकें। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब सरकार कहती है कि पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता, न माने, तो कम से काम सरकार में इतनी अक्ल होनी चाहिये कि हम को किस से शर्त शरायत करना चाहिये। सो नहीं, शर्त शरायत करने में युधिष्ठिर बनेंगे, हम जितनी भी शर्त शरायत होंगी सब का पालन करेंगे, वह करे या नहीं, और यहां आकर जवाब देना कि क्या हम करें, यह मेरी समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, उदारता और मूर्खता में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उदारता तो हो, यह बहुत खुशी को बात है, लेकिन दुनिया में रहने के लिये कुछ अक्ल भी होनी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह लोग ठीक रहें, ईमानदारी से काम कर दें, शर्त शरायत के मुताबिक, यह हमारे लिये आनन्द और गौरव की बात है। लेकिन यह भी निश्चय होना चाहिये कि जो शर्त शरायत हों दूसरों से भी उनको पूरा करवायें। अगर यह ताकत न हो तो कम से कम इतना तो होना चाहिये कि उनसे और कोई एग्रीमेंट न हो, और कोई शर्त शरायत न हों, उनका साथ छोड़ दें। आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। अभी कल ही प्रश्न हुआ था कि जिसके उत्तर में बताया गया कि पाकिस्तान की पुलिस हमारे दो आदमियों को पकड़ कर ले गई। इधर सुलह भी हो और उधर यह सब बाते होती रहें, यह तो दिमाग में नहीं आता।

मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस तरह के प्रस्ताव, इस तरह के विधेयक आप न

लावें, और न इसको पास करें। इसको ठीक बना कर लाइये और जो मैं कह रहा हूं उसका ध्यान रखिये। अगर इतना हिसाब न करेंगे तो मैं कहूंगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार इसके अनुसार नहीं चलेगी। मैं कहूंगा कि सरकार को इससे बाज आना चाहिये। यह कभी न होना चाहिये कि जो एग्रीमेंट हो उसको हम तो पूरा करते जायें लेकिन उधर से इसके बारे में कुछ न हो। यह बात जनता के हित में नहीं है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि वह ऐसा बिल न पेश करें क्योंकि यह आप के ताकत के बाहर की बात है। आप की ताकत यदि बढ़ गई हो तो, दूसरी बात है। हालां कि आपकी ताकत बढ़ कैसे सकती है, उस ने तो नई ताकत पैदा कर ली है, अमरीका से सुलह कर लिया है अगर आप में इतनी ताकत हो कि शर्त शरायत को पूरा करा सकें तो कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय : जवान में ताकत नहीं है, बूढ़े में है।

बाबू रामनारायण सिंह : अगर यह ताकत हो तो खुशी की बात है, लेकिन वह देखने में नहीं आती। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं संसद् के सभी सदस्यों से कहता हूं कि इस तरह की सरकारी बात को नहीं मानना चाहिये। इस बात को तो जहां तक हो सके रद्द ही कर देना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में कई आशंकायें प्रकट की हैं। परन्तु यदि हम शरणार्थियों को कुछ सुविधायें देना चाहते हैं तो हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से काम करना होगा।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा दोनों सरकारों के बीच बहुत सी चल सम्पत्ति का तत्काल ही समन्वय किया जा सकता है। हमें मालूम है कि बहुत से मामलों में पैसा अभी बैंकों, डाकखानों, बीमा कम्पनियों आदि के पास पड़ा है। बेचारे शरणार्थियों को यदि यह पैसा मिल जाय तो उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी। मेरी दृष्टि में कई ऐसे मामले हैं जहां कि गरीब शरणार्थी अपनी तरुण लड़कियों का विवांह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका पैसा आदि इस तरहें से बन्द पड़ा है। इस विधेयक के पास होने से इस तरह के बहुत से लोगों का कष्ट दूर होगा। हमें प्रसन्नता है कि यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है ; परन्तु इसके साथ ही मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह पूर्वी पाकिस्तान के मामले को भी ध्यान में रखे। वहां भी इस तरह के बहुत से मामले हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए० पी० जैन : आज अपराह्न को इस विधेयक से सम्बन्धित वाद विवाद ने जो विस्तृत रूप धारण किया, उस पर मुझे कोई अचम्भा नहीं हुआ—गो कि वह असंगत ही था। भारत तथा पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों की चर्चा की गई। सम्पूर्ण चल सम्पत्ति करार पर चर्चा हुई। इस विधेयक का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट प्रकार की चल सम्पत्तियों से है, तथा एक तरह से यह चर्चा संगत भी थी क्योंकि, आखिर, यह विधेयक उस बड़े करार का एक अंग ही तो है। परन्तु यहां मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक के उपबन्धों पर ही चर्चा करनी चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि क्या यह शरणार्थियों के लिये हितकर है अथवा नहीं।

मैं भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यह सही है कि

[श्री ए० पी० जैन]

कई अफसोसनाक बातें हुई हैं। परन्तु हम न एक करार किया है तथा इस के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में हमें ईमानदारी से काम करना होगा। संकोच की भावना से काम लेना किसी भी करार की कार्यान्विति के लिये घातक है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें आंख मूंद के आगे बढ़ना चाहिये तथा इसकी केवल एक पक्षीय कार्यान्विति करनी चाहिये। कार्यान्विति उभयपक्षीय होनी चाहिये। इस विधेयक के उद्देश्यो को पूरा करने के लिये हमें ईमानदारी से काम करना होगा।

सवाल उठाया गया है कि मैं ने न्यायालयों तथा संरक्षक विभागों के पास पड़े डिपाजिटों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के आंकड़े नहीं दिये हैं। पहले तो यह आंकड़े उपलब्ध नही ; कुछ तो हैं, किन्तु सारे नहीं। इन आंकड़ों को दोनों तरफ से एकत्रित करना होगा। परन्तु इस करार पर संकुचित दृष्टिकोण से विचार करना उचित नहीं। जब कोई करार होता है तो हो सकता है कि एक देश को एक बात में फायदा हो तथा दूसरे देश को दूसरी बात में फायदा हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस करार के एक अंग के रूप में क्या अन्य मामलों के सम्बन्ध में—मान लीजिये नकदी आदि के सम्बन्ध में—कोई करार है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या उन्हें भी कार्य रूप दिया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : इस विधेयक में नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अन्यथा क्या ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां।

श्रीमान्, आप देखेंगे कि कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय करार ऐसा नहीं होता है जो कि एकपक्षीय मामला हो। तो, यह कहना कि कोई चीज़ केवल हमारे लिये अथवा पाकिस्तान के लिये लाभकर है, एक ग़लत बात है। कुछेक माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि हमें इस बात को देखना चाहिये कि क्या हमें पाकिस्तान को ज्यादा देना है अथवा पाकिस्तान से ज्यादा वसूल करना है। दूसरे शब्दों में हमें इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिये यदि हमें पाकिस्तान को अधिक पैसा अदा करना है। मैं यह ठीक ठीक नहीं कह सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या होगी ; यद्यपि मेरा अनुमान यह है कि हमें फायदा ही होगा। परन्तु यदि हम यह कहेंगे कि हमें करार के इस अंग को केवल उस दशा में कार्यान्वित करना चाहिये जब कि हमें इससे फायदा हो तो वह भी ऐसा ही रवैया धारण कर सकते हैं तथा कह सकते हैं कि "हम इस बात पर समझौता नहीं करेंगे क्यों कि हमें आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है।" यह तो एक ग़लत दृष्टिकोण होगा।

सरदार हुक्म सिंह : वह प्रायः इसी धारणा के आधार पर काम करते हैं।

श्री ए० पी० जैन : इस करार पर विचार करने का सही ढंग यह है कि क्या यहां के शरणार्थियों को अपना हक़ मिलता है तथा क्या वहां के शरणार्थियों को अपना हक मिलता है। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि यह एक स्वस्थ्य करार है।

मेरे मित्र श्री सामन्त ने अभी एक उदाहरण दिया है। इस मामले पर केवल उसी दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। मेरी दृष्टि में कई ऐसे मामले आये हैं। एक विधवा मेरे पास आई थी उसकी लाखों रुपये की सम्पत्ति संरक्षक विभाग के हाथ में पड़ी

थी । वह मुझ से अपनी लड़की के विवाह के लिये पैसे मांगने लगी । मेरे लिये उसे इस उद्देश्य के लिये धन देना कठिन था । इस के लिये कोई उपबन्ध नहीं था । कुछ भी हो मैंने किसी न किसी तरह से उसकी सहायता की । तो इस करार पर इसी दृष्टि-कोण से विचार किया जाना चाहिये कि किस तरह से एक विधवा को अपनी सम्पत्ति मिल जाती है ; यह नहीं कि हम पाकिस्तान पर हर तरह से आरोप लगाते रहें । इस करार के प्रति हमारा रवैय्या सद्भावनापूर्ण होना चाहिये तथा हमें ईमानदारी से इसे क्रियान्वित करना चाहिये । इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये कि पाकिस्तान भी इस करार को क्रियान्वित करे ।

इस विधेयक के कुछेक पहलुओं के बारे में कई बातें कही गई हैं । मैं केवल उनके बारे में ही अपने विचार प्रकट करूंगा । मेरे मित्र श्री अचिंत राम ने कहा कि इस विधेयक को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाना चाहिये । मेरी भी ऐसी ही भावना है । वास्तव में हमने २२ जनवरी, १९५४ को ही, जब कि अध्यादेश भी जारी नहीं किया गया था, इसे क्रियान्वित करना शुरू किया । हम ने राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक आंकड़े संकलित करने के लिये कहा । पाकिस्तान ने भी इसी तरह के अनुदेश जारी किये हैं । पाकिस्तान ने और हमने जो अनुदेश जारी किये हैं, उनके अनुसार सारे आंकड़े ३१ मार्च तक संकलित किये जाने हैं । मैं समझता हूं कि शीघ्र काम करने का यही तरीका है । मैं आशा करता हूं कि यदि काम संतोषजनक ढंग से होता रहेगा तो कम से कम वह बातें जो इस विधेयक के अन्तर्गत आई हैं, वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में क्रियान्वित की जा सकेंगी ।

कुछ और प्रश्न उठाये गये । उदाहरणत: यह कि शरणार्थियों को वह पैसा देने में कुछ विलम्ब किया गया है जो कि पाकिस्तान से वसूल किया गया है । श्री गिडवानी ने शिकायत की कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से कुछ धन प्राप्त किया है परन्तु वह शरणार्थियों को अदा नहीं किया गया । मुझे मालूम नहीं कि किस धन की बात उनके मन में है परन्तु मैं समझता हूं कि वह उस साढ़े तीन लाख रुपये की धन राशि की बात कर रहे हैं जो हमें पास्किातन से वसूल हुई है .

श्री गिडवानी : जी हां

श्री ए० पी० जैन : यह धन राशि हमें कुछ निक्षेपों के कारण, जो कि कुछ चल सम्पत्ति बेचने से प्राप्त हुए थे, वसूल हुई थी । प्रासंगिक रूप से यह सरदार हुक्म सिंह के इस कथन का खंडन करता है कि अभिरक्षक के पास कोई निक्षेप नहीं । वास्तव में हमें पहले कुछ धन प्राप्त हुआ है तथा हमें आशा है कि इस करार के क्रियान्वित होने पर हमें और धन उपलब्ध होगा । जहां तक उस साढ़े तीन लाख रुपये के सम्बन्ध में है वह 'गणेश खोपरा मिल्स' का था । बाद में हमें पाकिस्तान से एक सन्देश प्राप्त हुआ कि उस मिल को कोई रुपया देय नहीं है तथा इस लिये यह धन राशि उन्हें वापिस की जानी चाहिये । हमने यह धन राशि वापस नहीं की, परन्तु ज्यों ही इस विवाद का फैसला होगा यह रुपया सम्बन्धित व्यक्तियों को अदा किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह मंत्री जी की धारणा है, अथवा . . . . . .

श्री ए० पी० जैन : श्री गिडवानी ने आयकर चुकाने के प्रमाणपत्र की ओर भी निर्देश किया है । यह सच है कि पाकिस्तान ने आयकर चुकाने के प्रमाणपत्रों को छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी है लेकिन उन्होंने यह

[श्री ए० पी० जैन]

स्वीकार कर लिया है कि अस्थायी आगन्तुकों के लिये वर्तमान मे लागू होने वाली तीन महीने की अवधि जारी रह सकती है और यदि यह मालूम हुआ कि इससे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उस पर बाद में विचार किया जायेगा । जो कुछ भी हो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने मन की इच्छा पूरी नहीं होती है । मेरा विचार है कि जहां तक आयकर चुकाने के प्रमाणपत्र का सम्बन्ध है वर्तमान व्यवस्था से हम बहुत हद तक संतुष्ट हैं ।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के विरोध में कोई और गम्भीर आपत्ति उठाई गई है और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह आशा प्रकट करता हूं कि पाकिस्तान और हमारे लिये इसे कार्यान्वित करना संभव यहो सकेगा और इस प्रकार एक नवीन अध्याय का सूत्रपात होगा ।

लाला अचिन्त राम : क्या शरणार्थियों को अपने निक्षेप पर ब्याज मिलेगा ?

श्री ए० पी० जैन : इस तरह का उपबन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पाकिस्तान के साथ हुए करार के अनुसार, निष्क्रांति व्यक्तियों के कुछ निक्षेपों के पाकिस्तान भेजे जाने, विस्थापित व्यक्तियों के ऐसे ही निक्षेपों के भारत में लिये जाने और उससे संबन्धित विषयों की व्यवस्था करने बाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में कोई संशोधन नहीं है । मैं सभी खंड सदन के मत के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

"खंड १ से १४, शीर्षक और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से १४, शीर्षक और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में जो बहस मैंने मिनिस्टर साहब की सुनी उसके मुताल्लिक इधर से या उधर से किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया गया । जो कुछ उन्होंने जवाब दिया वह जवाब भी इतना माकूल है कि उस पर हम कोई एतराज करने के काबिल नहीं हैं । हम में से कोई भी एतराज नहीं करना चाहता, जहां तक हमारे कास्टीट्यूशन का सवाल है, कांस्टीट्यूशन में दर्ज है कि जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे और उनके इम्प्लीमेंन्ट करने में और जो फारेहैन पालिसी होगी, उसके बारे में हमारे कान्स्टीट्यूशन में निहायत अच्छी बातें दर्ज हैं और अपने जवाब में उन्हीं को हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने दुहराया है और इस लिये मैं उनका स्वागत करता हूं । लेकिन जनाब वाला कितने ही हम इंटरनेशनल एग्रीमेंन्ट्स करें और कितना ही हम अपने कान्स्टीट्यूशन को याद करें, यह बात किसी आदमी से छिपी

नहीं है और किसी के दिल से यह चीज हटने वाली नहीं है कि जहां तक हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं वह इस किस्म के नहीं रहे हैं जिनसे हमें कोई एक ज्यादा उम्मीद पैदा होती हो। सच तो यह है कि मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, उन असहाब को जो एग्रीमेंट करते रहें हैं उनको दूं, किस बात का मुबारक देता हूं, मुबारकबाद इस बात के लिये नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लिया, बल्कि उनकी पेशेन्स के लिये, उनकी पेशन्स इनफिनिट हो गयी है और उनकी औप्टीमिज्म भी मिलैंकली औप्टीमिज्म है। मैं आपको बतलाऊं कि जिस वक्त यहां हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा उठा, तो वहां से उनके सेक्रेटरी आये और उनके साथ हमारे सेक्रेटरी बैठे और सेक्रेटेरियट लेविल पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट उस कांफ्रेंस में हो गया, जब पाकिस्तान वाले एग्रीमेंट करने के बाद भारत से वापिस गये और श्री जिन्ना के हुजूर में उसको पेश किया और बताया कि हमने भारत के साथ यह एग्रीमेंट कर लिया है तो जिन्ना साहब ने फरमाया कि तुम पाकिस्तान को मार्टगेज करना चाहते हो जो यह फैसला कर आये हो, वह दिन है और आज का दिन है पाकिस्तान ने कभी भी इम्मूवेबुल प्रापर्टी के एक्सचेंज करने या मुआविज़ा देने की कोशिश तो दूर, ख्याल तक नहीं किया। हिन्दुस्तान में जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, हिन्दुस्तान के लीडर्स ने यह सोचकर कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ समझौता हो जाय अपने क्लेम्स को इतना छोटा कर दिया था ताकि पाकिस्तान उसको अदा कर सके, लेकिन क्या नतीजा हुआ ? यहां पर मूवेबुल प्रापर्टी का जिक्र आता है, मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अन्दर दुकानदार कौन लोग थे, पाकिस्तान में अनारकली के बाजार में आप जानते हैं कि हमारे हिन्दू दुकानदारों की दुकानों में करोड़ों रुपये का माल भरा हुआ था, उसका क्या हुआ, जितनी मूवेबुल प्रापर्टी पाकिस्तान के अन्दर रह गई थी, उसका मुआविजा किस को मिला है ? एग्रीमेंट हो जाने से क्या फायदा जब दूसरी साइड उसको इम्पलीमेंट न करे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे लोगों का वहां के खजानों में जो रुपया पड़ा हुआ है, सेफ्स में रुपया पड़ा हुआ है जिसके डिटेल में कोई झगड़ा नहीं है वह हमें वापिस कर दिया जाय, क्योंकि यहां से कोई भी पाकिस्तान उसको लेने के लिये जाने को तैयार नहीं होता था, लेकिन हमारा रुपया वापिस नहीं किया गया। मुआहिदा तो हुआ, कि बैंकों में जो रुपया पड़ा हो वह भेज दिया जाये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक वहां से क्या मिला और कितने सेफ डिपाजिट्स वहां से मिल पाये हैं ? क्या मुझे बतलाया जायगा कि कितने आये हैं और कितने अब तक वहां पड़े हुए हैं ? मैं चाहता था कि एक मुआहिदे के जितने टुकड़े हैं सारे मुआहिदे को "ऐज़ ए होल" इम्पलीमेंट किया जाय। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे श्री अजीत प्रसाद निष्क्रांत निक्षेप हस्तांतरण विधेयक, १९५४ पेश कर रहे हैं और उनको भी इस बात का इत्मीनान हो गया होगा कि एग्रीमेंट को पाकिस्तान भी इम्पलीमेंट करेगा, उनके दिल में भी यह बात होगी, वैसे हमारे मिनिस्टर चाहे हवाई बातें करें लेकिन मैं जानता हूं कि वह भी इसी तरह सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, हमारे मिनिस्टर कुछ हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं और उनको भी इस बात की उम्मीद होगी कि जब हम इस एग्रीमेंट को इम्पलीमेंट कर रहे हैं, तो हमको भी वहां से हमारी बहुत सी चीजें वापिस मिलेंगी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो मैं समझ गया कि इस बिल में कहां तक सत्ता है। बिल के अन्दर इन सब चीजों का कोई जिक्र नहीं है जिसका मुआहिदा किया गया था। अगर पाकिस्तान की नीयत साफ है, हमारी नीयत तो साफ है, मैं बतौर नानअफिशल मेम्बर के कहता हूं कि हम एग्रीमेंट को पूरी तरह से निभाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इटर्नेशनल एग्रीमेंट करके फिर उसको न निभायें, हम राइचुअसनेस को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है, भले ही कोई अपनी राइचुअसनेस को छोड़ दे, लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने ऐब्डक्टेड फीमेल्स के लिये मुआहिदा किया और २,००० के करीब हमारी औरतें मुसलमान ओफिशल्स के घरों में पड़ी हुई हैं, उनमें से कितनी वापिस आई ? बहुत कम। मैं इस मुआहिदे के लिए कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है तो उसको ईमानदारी से पूरा करे, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं कहूंगा कि रजिस्टर ही फट गया, हम किस चीज को कहां देखें ? यहां कोई एन्ट्री ही नहीं है।

आनरेबुल मिनिस्टर साहब का यह ख्याल था कि यहां के आदमियों का रुपया वहां बहुत पड़ा है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कोर्ट्स के अन्दर रुपया किसका होता है ? जो लोग कि अमीर होते हैं। जो लोग यहां से गये, उन के मुकाबले में वह लोग बहुत अमीर थे जो वहां से यहां आये हैं। मैं फिर दोहराता हूं, बार बार यहां पर दोहराता रहता हूं, और आनरेबल मिनिस्टर से कहता हूं कि यहां के लोगों का जो लाखों रुपये का पाकिस्तान जाने वालों के जिम्मे कर्जा था आप के हुक्म से, गवर्नमेंट के हुक्म से, स्टेट गवर्नमेंट के हुक्म से या सेन्टर के हुक्म से, लोगों ने उसकी फेहरिस्तें बनाईं। अपने क्लेम्स दिये, तहरीरात पेश कीं। वहां के लोग इन लोगों के मकरूज़ थे, राजस्थान में फेहरिस्तें बनीं, गंगानगर में बनीं, मालेरकोटला में बनीं, उसका रुपया क्या आप पाकिस्तान से वसूल करेंगे और देंगे इन लोगों को ? मैं नहीं कहता कि वह रुपया खजाने से दीजिये लेकिन अगर कुछ मिलता है तो पहले उनका हक़ है जिनकी वह रक़म है। खैर, इसको छोड़िये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो मूवेबुल्स का जिक्र करते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है ? उसका अन्दाजा आप को कैसे लगेगा ? मैं तो कहता हूं कि अगर जो कुछ वहां रह गया है उसके मुकाबले में आप को एक पैसा भी मिल जाय तो मैं राजी हूं कि उसको ले लीजिये। लेकिन कम से कम अपने क्लेम्स की तादाद कम न कीजिये। आप रोज जिक्र करते हैं कि मूवेबुल्स के लिये इतना रुपया हमको पाकिस्तान से लेना है। मुझे दुःख होता है कि आपको इसका अन्दाजा भी नहीं है कि वहां हम लोगों का कितना रुपया और मालमत्ता पड़ा हुआ है ? कुछ भी हो, उनसे आपको कुछ भी मिले। आप फैसला कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो कुछ भी उनसे मिले, एक पाई भी अगर उसके बदले में मिले, आप ले लीजिये। मैं तो कहता हूं कि आप ने मुआहदा किया, आप को मुबारक हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि यह आखिरी चीज़ हो। मैं तो यह मानता हूं कि जो भी आपने मुआहदे किये हैं आप उनको पूरा कराइये। उसके लिये बिल की क्या जरूरत है ? आप ने मुआहदा कर लिया तो ठीक है, हां कोई चीज़ बाकी रह गई हो तो उस के लिये आप जो चाहें कर सकते हैं। और अगर बिल आना ही है तो मैं कहता हूं कि पहले यह तो तसल्ली कर लीजिये कि वहां पर क्या क्या रह गया है। मैंने पिछली दफा एक मौके पर अर्ज

किया था, और वह दरअस्ल कंट्राडिक्ट्री सी चीजें हैं, ऐसा आप कहेंगे । लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पर सरदार हुक्म सिंह ने कहा कि वहां एक रेस हार्स रह गया । मैं तो कहता हूं कि एक नहीं पता नहीं कितनी चीजें रह गई । सरदार दातार सिंह का एक कैट्ल का हर्ड रह गया जो कि बहुत बड़ा था और निहायत बेश कीमत था । उन में से आपको कितनी गायें और भैंसें मिलीं । वह सब की सब वहीं रह गई । पेश्तर इसके कि आप बिल लायें, मेरी राय में पहले आप अपनी तसल्ली तो कर लीजिये । तसल्ली करने के बाद कोई मुआहिदा करना ठीक होगा । फिलवाकया, हम लोग मुवेबुल्स के लिये बेबस हैं । हम लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, एक तो मुआहिदा है, और दूसरे के लिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : समझते तो सब कुछ हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम सब से ज्यादा बेहतर आप समझते हैं । यह बिल ऐसा है जिस पर कोई ऐमेन्डमेंट नहीं है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : आप बहुत अर्ज कर चुके ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अच्छी बात है ।

श्री ए० पी० जैन : जनाब, मुझे इस के जवाब में कोई खास बात नहीं कहनी है सिवा इसके कि यह जो कहा गया है कि बाकी चीजों के लिये क्यों नहीं बिल लाया गया । मेरा कहना है कि उन चीजों के लिये बिल की जरूरत नहीं है । यह बिल इसलिये लाया गया कि अगर अदालत में कोई डिपाजिट है तो वह कानून के ही जरिये से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है । अगर कोर्ट आफ वार्डस किसी को पैसा देता है, तो या मनकूला जायदाद को मुन्तकिल करता है तो वह तो कानून के ही जरिये से हो सकता है । मनकूला जायदाद के बारे में जो फैसला हुआ है, उस में जिन के लिये कानून की जरूरत है वही इसके अन्दर लाई गई हैं । जिनके लिये कानून की जरूरत नहीं है उनको इसमें रखने की न जरूरत थी और न उनके लिये कानून आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विमान निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार करेगा ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में विमान निगम अधिनियम, १९५३, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बहुत ही सामान्य विधेयक है । इसमें कतिपय कारणों से अधिनियम में उपबंधित अवधि को बढ़ाने के लिये कहा गया है । मैं नहीं समझता कि किसी वक्तृता की आवश्यकता है क्योंकि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इसे स्पष्ट कर दिया गया है । मुझे आशा है कि सदन इसे पारित कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय माननीय

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

मंत्री ने केवल एक वाक्य कहकर संतोष कर लिया कि इसे पारित कर दिया जाये ।

मुख्य विषय पर बोलने से पहले मैं एक सामान्य बात कहना चाहता हूं । प्रक्रिया नियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि विधेयक का प्रस्तावक उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अतिरिक्त अधिक विस्तृत जानकारी देने के लिये एक स्मृतिपत्र भी साथ में ले । यहां ऐसा नहीं किया गया है । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भूल है । विधेयक का मसौदा तैयार करने वालों ने प्रक्रिया नियमों के नियम ८३ का अनुसरण नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें केवल दो प्रकार के स्मृतिपत्रों का उल्लेख है, एक तो विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के सम्बंध में, यदि इस प्रकार का कोई प्रत्यायोजन हो, और दूसरे वित्तीय उपलक्षणा के सम्बंध में, यदि वह कुछ हो तो ।

मेरा विचार है कि इस मामले में कोई वित्तीय उपलक्षणा नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं ।

स्वयं विधेयक के सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने कर्त्तव्य की पूर्ति में असफल रही हैं । वह समवायों अथवा समवायों के प्रबंधकों से लेखा पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं ले पाई हैं । यह सरकार की ओर से क्रियाशीलता के अभाव का द्योतक है । मैं ने मंत्री जी को सावधान कर दिया था कि इसके लिये जो समय की अवधि निश्चित की गई है वह सर्वथा पर्याप्त है । जो समवाय असैनिक उड्डयन से सम्बंधित हैं वह पहले से ही इस बात को जानते थे कि इनका राष्ट्रीयकरण होने वाला है । मैं नहीं समझता कि नवीन आंकड़े गढ़कर सरकार से अधिक पूंजी की मांग करने के अतिरिक्त उन्हें और किस कार्य के लिये अधिक समय चाहिये । अधिक समय की मांग हमारे मस्तिष्क में शंकाएं उत्पन्न करता है ।

श्री जगजीवन राम : मैं इसे स्पष्ट कर दूं । समय में वृद्धि समवायों के लिये नहीं है । यदि निगम आवश्यक समझें तो अधिकरण के पास जाने का काम उनका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह सच है । निगम को यह समझना चाहिये था । लेकिन क्या आपका विचार था कि इस अवधि में निगमों को सब हिसाब मिल जायेंगे । इस निर्दिष्ट अवधि में उन्हें हिसाब नहीं मिले । उन्होंने काम समाप्त नहीं किया । इसके पीछे क्या कारण था ? मेरा प्रश्न यह है ।

इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्री जी को अवधि-विस्तार के लिये सदन के समक्ष नहीं आना चाहिये था ।

इस सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एयर इण्डिया इंटरनेशनल और एयरलाइन्स कारपोरेशन—दोनों निगमों में आन्तरिक द्वन्द्व बढ़ रहा है । दोनों निगमों के आरम्भ होने के पश्चात् शीघ्र ही अनेक मामलों पर उनमें परस्पर संघर्ष हो गया था ।

सरकार ने इन सब को उचित राह पर लाने के लिये कुछ नहीं किया । यह देखना मंत्री महोदय का कार्य था कि प्रबंधकर्त्ता उचित व्यवस्था कर रहे हैं । मेरा अभी भी यह मत है—भले ही मंत्रालय इसे इन्कार कर दे—कि अवधि बढ़ाने का अर्थ है अधिक व्यय, कर्मचारियों के लिये अधिक काम और उनकी संख्या में वृद्धि । इतने

छोटे-छोटे मामलों के लिये मूल अधिनियम में संशोधन करने की पद्धति अच्छी नहीं है। एक निगम दूसरे निगम के अस्तित्व को सहन नहीं करता है और यदि असामञ्जस्य की यह भावना चलती रही तो अप्रवीणता और भय की वृद्धि होगी। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि विमान दुर्घटनाएं और दूसरी बातों का कारण अन्त में प्रबंध की अकुशलता और निगमद्वय में चलने वाला द्वंद्व ही है। अंत में मेरा विचार है कि यदि मंत्री महोदय इस सम्बंध में गंभीर कार्यवाही करते तो इस बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : साधारण परिस्थितियों में हम अवधि बढ़ाने के लिये सरलता से तैयार हो सकते थे। प्रस्तुत अधिनियम संसद् द्वारा मई, १९५३ में पारित किया गया था। उसके बाद, पहली अगस्त को एयर कारपोरेशन का उद्घाटन किया गया। इसमें चार महीने का समय था। निगमों को अपना हिसाब प्रस्तुत करने के लिये अभी एक महीने का समय और भी था। मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री हमसे यह कहते कि जांच का कार्य किस सीमा तक पहुंच गया है, किन किन वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया है और अभी कितना काम शेष है, आदि। लेकिन माननीय मंत्री ने केवल उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर निर्दिष्ट करना ही उचित समझा जिसमें पूरे तथ्य भी नहीं दिये गये हैं।

इन विमान निगमों को लेने के पूर्व अपने हिसाबों की वार्षिक लेखा परीक्षा करा कर उन्हें पंजीयक के यहां प्रस्तुत करना पड़ता था। अब इसमें परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी ? क्या सरकार ही देरी का कारण है ? किन किन बातों की जांच अभी शेष है ? यह सब बातें शंकाएं उत्पन्न करती हैं। इन निगमों को हाथ में लेने के पहले कुछेक के मामले आयकर जांच आयोग के सामने थे। मैं नहीं समझता कि यह सब क्या है। हमें उन बातों से पूरी तरह जानकार रहना चाहिये जो समाचारपत्रों में छपती रहती हैं।

दूसरे हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई थी। विमान चालकों को खूब आड़े हाथों लिया गया। क्या उक्त उड़ान साधारण चालकों द्वारा की गई थी अथवा विशेष रूप से प्रशिक्षित चालकों द्वारा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। दिलचस्प होते हुए भी यह सर्वथा असंगत है।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का पूरे ज़ोर से समर्थन करता हूं। यह संशोधन हेतु एक साधारण-सा विधेयक है। माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिये मंत्री महोदय बहुधा सदन के सामने आते रहते हैं। संशोधन हेतु यह प्रथम विधेयक है। समुचित प्रशासन की दृष्टि से संशोधन आवश्यक है। खण्ड २, ३ और ४ में एक साधारण बात करने को कहा गया है। यह बहुत सत्य है। इसमें किसी प्रकार के वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। विरोध के लिये ही विरोध वाली बात नहीं करना चाहिये। कोई भी व्यक्ति अलौकिक नहीं। यदि मंत्री जी मूल विधेयक को प्रस्तुत करते समय इन बातों की आशा करते तो जिन माननीय सदस्यों ने अभी आलोचना की है, वे भी उस समय वही बातें कहते। यह सब बातें अधिनियम को लागू करते समय ही मालूम की गई हैं और इसलिये

[श्री एन० राचय्या]

प्रस्तुत संशोधन कर्ता विधेयक द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ने बहुत देर से माननीय सदस्य श्री रोहिनी कुमार चौधरी की वाणी नहीं सुनी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : इस में मेरा क़तई दोष नहीं है । जब सदन में उड्डयन के विषय पर बात हो रही हो, तो मुझे अपने विचार प्रकट करने की उत्तेजना सी मिलती है ।

एक माननीय सदस्य : हवाई बातें ?

श्री आर० के० चौधरी : सदन को ज्ञात होगा कि मैं ने पिछली बार वायु-परिचारिकाओं के सम्बन्ध में अपील की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि वह अपील अकारथ नहीं गई है, किन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि शिष्टता के नाते उन परिचारिकाओं की ओर से मुझे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार की बात आयव्ययक भाषण में बता सकते हैं । इस समय यह असंगत है । मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये प्रार्थना करूंगा ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, आशा है कि आप मुझे उस समय ध्यान में रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय विमान निगम विधेयक पर आप सब से पहले बोलेंगे ।

श्री जगजीवन राम : सर्वप्रथम, मैं यह कह दूं कि इन दोनों निगमों के बीच कोई भी संघर्ष नहीं रहा है । इन दोनों ने मित्रतापूर्ण काम किया है, मेरे ध्यान में अभी तक यह बात नहीं आई है कि इनका आपस में कोई मतभेद रहा हो । इस अधिनियम की योजना के अनुसार, जितना समय मांगा गया है, वह आवश्यक है क्योंकि क्षतिपूर्ति को निर्धारित करना है । इस समय काम करने वाले समवायों को निगम द्वारा क्षतिपूर्ति दिलानी पड़ेगी, और धारा २२, २३ और २४ के अधीन जैसा बताया गया है, क्षतिपूर्त्ति निर्धारित करने के लिए इन समवायों को कई प्राप्तियों का ब्यौरा देना होगा जिन की जांच निगम के पदाधिकारियों एवं सरकार द्वारा होगी, और यदि जांच के बाद उन्हें यह पता चले कि पंजियों में लिखे गय कई व्यय एवं दायित्व अथवा प्राप्तियों में दी गई बातें सही रहीं, तो वे सर्वप्रथम प्राप्तियों के इस ब्यौरे को प्राप्त करने की तिथि से तीन महीने तक के समय में उन अशुद्धियों या त्रुटियों को उन काम करने वाले समवायों के ध्यान में ले आयेंगे । इसी प्रकार, यदि कई ऋणों और करारों को ग़लत बताना हो, तो नियुक्त तिथि से छै महीने तक उन निगमों द्वारा एक न्यायाधिकरण के समक्ष यह काम किया जाएगा । आप जानते हैं कि नियुक्त तिथि से छै महीने तक की तिथि, जो १ अगस्त, १९५३ थी, निकल चुकी है । तो इस प्रकार यह सब घटना हुई । सर्वप्रथम, समवायों ने तीन दिन की विशिष्ट अवधि में अपना सारा ब्यौरा नहीं दिया, जिस के परिणामस्वरूप निगम ने उनकी अवधि बढ़ा दी । यह अनिवार्य था । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें बहुत विशद सूचना देनी थी, और यद्यपि संचार मंत्रालय ने समय पर कार्यवाही भी की थी—यानी मई १९५३ में हम ने विशेष प्रकार के तीस फार्म छपवाये थे और ब्यौरा लिखवाये जाने के लिए विमान समवायों को भेज दिये गये थे—फिर भी यह एक बृहद्कार्य काम था । हम ने उस ब्यौरा की जांच कर के देखा कि हमारे पास इतना

समय नहीं था कि हम भली भांति जांच-पड़ताल कर सकते । हमें इस बात का भी विश्वास हुआ कि यदि हम इस में जल्दी करायें तो शायद भली भांति जांच-पड़ताल नहीं हो सके । ऐसा भी हो सकता है कि हम कई समवायों को उचित राशि से अधिक धन दें । इसीलिए अवधि बढ़ाना आवश्यक दिखाई दिया । किन्तु इस अवधि में हमने बहुत प्रगति की है ।

श्रीमान्, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कितना काम करना है : ऐसी छै कम्पनियां होंगी जिनकी किताबों में दर्ज किये गये ऋणों की छानबीन की गई है । शेष तीन कम्पनियों का काम भी जल्दी ही पूरा होगा । पांच चालकों के दायित्व की पड़ताल समाप्त की जा चुकी है; दो की हो रही है और शेष दो की शीघ्र होने वाली है । जहां तक क़रारों के निरीक्षण का सम्बंध है, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बतला दूं कि हमें लगभग ३०० ऐसे करारों की जांच-पड़ताल करनी पड़ी थी, जो इस समय काम करने वाली कम्पनियों ने विभिन्न पार्टियों के साथ किये थे, चुनांचि इस तरह की जांच-पड़ताल में सावधानी बरतनी पड़ी । इस के बाद, सब से बड़ा और बृहद्काय काम तो इन नौ कम्पनियों के सामान की पड़ताल करवाने का था; इस के लिए हमें नौ विशेषज्ञों का एक दल एच० ए० एल्०, असैनिक उड्डयन महानिदेशालय और एयरलाइन्स कारपोरेशन्स से मांगना पड़ा । उनकी पड़ताल समाप्त की जा चुकी है, और मौजूदा कम्पनियों में से नौ की सम्पत्ति की पड़ताल हो चुकी है, और शेष चार कम्पनियों की हो रही है । अब तक सामान के अतिरिक्त नियत परिसम्पत् कै मूल्य के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में जो भी काम होने वाला था, वह चार कम्पनियों का पूरा हो चुका है, और अन्य पांच कम्पनियों के बहुत से फार्मों की जांच पड़ताल भी की जा चुकी है ।

जितना समय लगा है वह अनिवार्य है । जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था और सदन में इस पर विचार हुआ था मुझे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि यह कार्य इतना बड़ा होगा । मैंने सोचा था कि एक या दो महीने में समवाय ब्यौरा भेज देंगे और इन समवायों से प्राप्त ब्यौरों की जांच करने के लिए तीन या चार महीने हमारे लिए काफ़ी होंगे । ब्यौरों के मिल जाने के बाद मैं ने अनुभव किया कि उनकी उचित जांच करना असंभव है, उनके भंडारों का व्यक्तिगत निरीक्षण एवं उनकी जांच करना कठिन है एवं वर्तमान समवायों ने अन्य व्यापारिक दलों से भी समझौते किये हुए हैं । विधान सम्बन्धी दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु लेखा सम्बन्धी दृष्टिकोण से भी उनकी जांच होनी थी । इन सब बातों की छानबीन में समय लगा और अब यह विस्तार समवायों के हित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है अपितु निगम के हित को दृष्टिगत रखकर वांछनीय है जो कि अंतिम रूप में राज्य कोष का ही हित है । कहीं ऐसा न हो कि उनकी छानबीन अथवा निरीक्षण में कमी रह जाने के कारण अपेक्षाकृत उन्हें अधिक भुगतान हो जाय । इन समवायों के कांइयां व्यक्तियों से सुलटना पड़ेगा, और बड़ी सावधानी बरतनी होगी । इस कार्य के दायित्व एवं यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है इसके प्रति मैं जागरूक हूं । अतः यथा संभव सावधानी से मैं कार्य कर रहा हूं और यही कारण है कि अवधि बढ़ाने के लिए हमने सदन से प्रार्थना की है ताकि इस बीच में आवश्यकता पड़ने पर समवायों द्वारा दिये गये ब्यौरों की सत्यता प्रामाणित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष हम

[श्री जगजीवन राम]

चुनौती दे सकें । मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि सदन अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(१९५३ के अधिनियम २७ की धारा २२ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ (१९५३ के अधिनियम २७ की धारा २३ का संशोधन)

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ पंक्ति ८ में

"One year ["एक वर्ष"] शब्दों के स्थान पर 'nine months' ["नौ महीने"] शब्द रख दिये जायें"।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि लेखाओं की जांच करने के लिए एयर कारपोरेशन को समय चाहिये । किन्तु उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से प्रकट होता है कि वायु समवाय ही अधिक समय ले रहे हैं न कि कारपोरेशन । अतः समवायों द्वारा जो समय लिया जा रहा है उस में कमी हो तथा यह देखना चाहिये कि समवाय अपने लेखाओं में गड़बड़ी न करें और इसी दृष्टिकोण से यह संशोधन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र ने यह संशोधन भ्रान्तिवश प्रस्तुत किया है। संशोधन में खंड २३ का उल्लेख है—जिसमें ६ महीने की अवधि की व्यवस्था है—किन्तु वह न्यायाधिकरण पर लागू होगा न कि समवायों पर । यदि समवायों द्वारा दिये गये ब्यौरों में निगम को कोई कमी मिलती है तो वह न्यायाधिकरण पर लागू होगी अतः अवधि का यह विस्तार समवाय के हित में नहीं है अपितु निगम के हित में है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : उस स्थिति में मैं अपने संशोधन के बारे में आग्रह नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"खंड, ४, ५, १, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४, ५, १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नौवहन विधेयक को लेंगे । इसके बारे में बहुत से संशोधन हैं । ६ बजे इस पर विचार होगा । अब सभा ६ बजे तक के लिए स्थगित होगी ।

इसके पश्चात सभा ६ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

सभा ६ बजे पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नौवहननियंत्रण (संशोधन) विधेयक— क्रमशः

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि—दक्षिण) : बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाज़ी बेड़े की शक्ति इतनी कम है कि सप्ताह भर सामान्य लाइनों पर जहाज़ नहीं चलते हैं अतः कुछ जहाज़ों को कम करना पड़ा । जनता की लगातार मांग के बावजूद भी कम्पनी ने उन लाइनों को चालू नहीं किया है, हमारी यही शिकायत है कि जनता की आवश्यकताओं के प्रति सरकार यथेष्ट ध्यान नहीं दे रही है । जो बात ब्रिटिश काल में होती थीं वे आज भी इस युग में--जिसे हम स्वराज युग कहते हैं—हो रही हैं । अतः निवेदन है कि तटीय नौवहन सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सरकार शीघ्र ही ध्यान दे ।

छोटे छोटे पत्तन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं जब कि यात्रियों की सुरक्षा का विषय केन्द्रीय सरकार का है । जब कोई जहाज़ छोटे पत्तन में आता है तो बेकन लाइट द्वारा उसे रास्ता दिखाया जाता है, और बेकन लाइट की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । तटीय बन्दरगाहों पर बम्बई सरकार ने बेकन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की है । उसका ध्यान आकर्षित किये जाने पर भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । यहां प्रश्न करने पर उसे इसलिये ठुकरा दिया गया कि यह राज्य सरकार का विषय है । उधर कम्पनी ने अपनी व्यवस्था बेकन लाइट के सम्बन्ध में कर दी है जो कि अन्य जहाज़ों का भी काम चलाती है । यह बहुत बुरी बात है, और मेरा कहना है कि किसी भी सभ्य सरकार के लिये यह शोभनीय नहीं है । अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वह एक साधारण यात्री के नाते तटीय पत्तनों की स्थिति का अवलोकन करें ।

मेरा कहना यह है कि प्रत्येक पत्तन के लिए एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिये जिसकी नियुक्ति सरकार करे, और यह समिति यात्रियों की शिकायतों को देखे और शीघ्रातिशीघ्र उन को दूर करने का प्रयत्न करे । यात्रियों के आराम की देखभाल करने के लिए हमारे राज्य में एक समिति है । यह सरकार १६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता बम्बई राज्य के बन्दरगाहों पर यात्रियों की सुविधा के लिए देने जा रही है । अतः सरकार को इस बात पर ज़ोर देना चाहिये कि इस समिति की राय को वे जहाज़ी कम्पनियां मानें जिनका कार्य ढीलाढाला चल रहा है । आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सभी बातों पर विचार करेंगे ।

श्री अलगेशन : वाद विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं । प्रश्न यह उठा था कि इस विधेयक की अवधि जब तब दो वर्ष के लिए क्यों बढ़ा दी जाती है ? वस्तुतः नौवहन सम्बन्धी सम्पूर्ण विधान तथा इसमें भ्रान्ति हो गई है । श्री गांधी सरीखे गम्भीर वक्ता भी इस भ्रान्ति में आ गये और कहने लगे कि क्यों न एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाय ? मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह पूर्ण अधिनियम है । यह स्वतः ही पूर्ण है । मूलतः विचार यह था कि जब सम्पूर्ण विधान प्रस्तुत करना है तो यह उसका एक अंग हो सकता है । चूंकि हम यह विधान तैयार कर रहे हैं इसी कारण दो वर्ष के लिए इसकी अवधि और बढ़ाने के लिए सदन से कह रहे हैं । वस्तुतः यह एक विधान है जिसमें सैंकड़ों खंड तथा बहुत से प्रशासकीय एवं प्रविधिक बातें हैं । मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अब हमारे पास एक विशेष प्राधिकारी

[श्री अलगेशन]

हैं जिन्हें इस विषय का यथेष्ट ज्ञान है, उन्हें इस विधेयक का कार्य भार सौंप दिया गया है, और कम से कम अगले सत्र में उस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का हम प्रयत्न करेंगे ।

हालांकि उपाध्यक्ष महोदय ने जो कि उस समय पीठासीन थे विधेयक के उद्देश्य के बारे में बता दिया है, किन्तु सदस्यों ने व्यापारी नौवहन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर विचार प्रकट किये हैं । मैं ने कहा था कि व्यापारी नौवहन विधेयक को मैं प्रस्तुत करूंगा किन्तु सदस्यों ने तो इस प्रकार भाषण दिया मानो विधेयक पूर्वतः ही प्रस्तुत कर दिया हो । यह बात सदन को मैं पहले बता देना चाहता था । यह वह अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय नौवहन के लिए शत प्रति शत तटीय रक्षण की नीति को हम सफलता पूर्वक लागू कर सके हैं । यह शंका की गई थी कि क्या अब भी तटीय नौवहन पूर्णतया भारतीय हितों के लिये रक्षित है । यह ठीक है । वास्तव में भारतीय जहाज़ों ने १९५०-५१ में तटीय व्यापार का ८० प्रतिशत, १९५१-५२ में ९४ प्रतिशत तथा १९५२-५३ में शत प्रतिशत व्यापार किया है । हालांकि कुछ व्यापार विदेशी जहाज़ों द्वारा भी हुआ है, जो कि लगभग २५,००० टन था, पर वह भी भारतीय नौवहन के हित में था । ऐसा विचार है कि यह न्यूनतम था जिससे कि इस स्थिति में बचा नहीं जा सकता था । एक शंका यह भी की गई थी कि क्या विदेशी जहाज़ भारतीय जहाज़ों के रूप में इस सुविधा से लाभ उठाते हैं । हालांकि ब्रिटिश बन्दरगाहों म भारतीय जहाज़ों को भी वही सुविधा मिलती है जो कि ब्रिटिश जहाज़ों को मिलती है, किन्तु विपरीत में ऐसा नहीं है । आजकल तटीय व्यापार करने वाली सभी जहाज़ी समवाय भारतीय हैं, अधिकांशतः भागीदार संचालक तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ता सभी भारतीय हैं अतः भारतीय नौवहन के रक्षण सम्बन्धी सफलता के बारे में सदन को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय नौवहन के विस्तार की गति में अधिक शीघ्रता लाने के लिए माननीय सदस्यों ने मांग की है । यह सत्य है कि सन १९४७ में नौवहन नीति समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि १९५४ तक २० लाख टन की अधिकतम सीमा तक हमें पहुंच जाना चाहिये किन्तु बाद में योजना आयोग ने इस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना काल समाप्त होने से पूर्व ६ लाख टन तक पहुंच जाना चाहिये । सदन को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । सन् १९४७ में हमारी क्षमता केवल १,४०,००० टन की थी । योजना काल के प्रारम्भ में यह ३,९०,००० टन थी और अब बढ़कर यह ४,३५,००० टन हो गई है । योजना काल की शेष अवधि में उस बाक़ी क्षमता को भी पूरा करने की हमें आशा है । इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा कर दी गई है और धीरे धीरे उसका अनुसरण भी किया जा रहा है । ऋण दिये गये हैं तथा दिये जा रहे हैं । योजना में जिस धन का उपबन्ध किया गया था वह धन जहाज़ ख़रीदने के लिए ऋण के रूप में दिया जायगा और ये जहाज तटीय व्यापार तथा विदेशी व्यापार में भाग लेंगे । जहां तक तटीय नौवहन के लिए ऋण की बात है, १०९ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और २·८९ करोड़ रुपये देने का वचन दिया गया है, इस प्रकार कुल धन ४·८ करोड़ रुपये होता है, जब कि योजना में ४ करोड़ रुपये देने का ही विचार था । इसी प्रकार विदेशी नौवहन

के लिए ६.५ करोड़ रुपये का ऋण देने का विचार था किन्तु ८.५ करोड़ रुपये देने का वचन दिया गया है, और हम आशा करते हैं कि समवाय इस धन का सदुपयोग करेंगे ।

विचार यह किया जाता है कि विशाखा-पटनम नौप्रांगण को जो आर्डर दिये गये हैं उन के सम्बन्ध में, यद्यपि योजना में केवल ४.५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था, फिर भी ५·५ करोड़ रुपये का ऋण दिया जायेगा । माननीय श्री मुकर्जी ने किसी पत्रिका का हवाला दिया था जिस में कहा गया था कि परिवहन मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि ३५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । यह ग़लत है । वास्तव में २३.५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

इन कर्ज़ों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें भी दी गई हैं । पहले समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले जहाज़ों को ६६.२।३ प्रतिशत तथा समुद्र पार जाने वाले जहाज़ों को ७५ प्रतिशत देने का विचार था परन्तु अब हमारा विचार यह है कि प्रयोग के गुणावगुण के देखते हुए क्रय मूल्य के ८० प्रतिशत से लेकर ८५ प्रतिशत तक दिया जाये । समुद्र पार जाने वाले जहाज़ों के लिये ब्याज की दर भी घटा कर २½ प्रतिशत कर दी गई है । समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करने वाले जहाज़ों को यदि ऋण ४ वर्ष के भीतर लौटा दिया जाने वाला हो तो ४ प्रतिशत । चार वर्ष से अधिक वाले के लिये ४½ प्रतिशत ।

योजना काल में विशाखापटनम् नौ प्रांगण ३५,००० टन का निर्माण कर चुका है । जिन जहाज़ों का निर्माण हो रहा है वे ३९,७७० टन के होंगे तथा जिन के आर्डर प्राप्त होने की आशा है वे २१,००० टन होंगे । इस प्रकार लगभग १ लाख टन हो जाता है । विशाखापटनम् नौ प्रांगण में इतने ही निर्माण होने का विचार योजना में किया गया था ।

जहां तक पताका विभेद, तथा भारत-इंगलैण्ड के मध्य रास्ते में पड़ने वाले बंदरगाहों के व्यापार में, भाग लेने का प्रश्न है, विशेष बात यह है कि हमारे जहाज़ों का टनेज बहुत कम है । विदेशों में हमारे जो व्यापार आयोग हैं हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि भारतीय जहाज़ों को ही काम में लायें । परन्तु कठिनाई यह है कि बहुधा ऐसा होता है जब कभी सामान लादने के लिये उपलब्ध होता है तो भारतीय जहाज़ इन बन्दरगाहों पर ठहरते नहीं हैं । तब हमें अपना सामान अन्य जहाज़ों में लाना पड़ता है । जब हम ने जापान को इंजन तथा डिब्बों का आर्डर दिया था तो हम ने निगम से पूछा था तो उस ने उत्तर दिया कि अभी उस लाइन पर उस का केवल एक जहाज़ चल रहा था, इस लिये वे जापान में प्राप्त सामग्री का केवल बहुत थोड़ा अंश ही पहुंचा सकेंगे । प्रश्न यह नहीं है कि सरकार को भारतीय जहाज़ उद्योग का ख़याल है या नहीं है, प्रश्न तो वास्तव में यह है कि अभी हमारे जहाज़ों की माल लादने की सामर्थ्य बहुत कम है । जब हम अपने जहाज़ उद्योग का विस्तार कर लेंगे और हमारा समुद्र पार का व्यापार बढ़ेगा तो हमारे जहाज़ उद्योग को निश्चय ही लाभ पहुंचेगा ।

रास्ते में पड़ने वाले बन्दरगाहों के व्यापार में भाग लेने के प्रश्न पर भारतीय जहाज़ी समवाय क्रियात्मक उपाय कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में समवाय सम्मेलन के साथ उन की वार्ता चल रही है । किसी व्यापार विशेष में भाग लेने वाले जहाज़ी समवाय, अपनी इच्छा से, ऐसे सम्मेलनों में संगठित हैं । पारस्परिक रूप से इस विषय पर वार्ता करना तथा किसी निश्चय पर पहुंचना भी उन्हीं का ही कार्य है । यदि यह मालूम होता यह वार्ता विफल हो रही है तथा सरकार को यह मामला अपने हाथ में लेना चाहिये तो

[श्री एम० डी० जोशी]

हम इस के लिये तय्यार हैं और समय आने पर जो भी आवश्यक होगा, करने के लिये तय्यार रहेंगे ।

तेल ले जाने वाले जहाज़ों के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारत के पास कम से कम ६ आयल टैंकरों का एक बेड़ा होना चाहिये । विदेशी तेल समवायों के साथ क़रार करने के पूर्व हम ने पूछताछ की थी कि क्या कोई भारतीय जहाज़ी समवाय टैंकर क्रय करने के लिये तय्यार है । बात यह है कि तेल वाले जहाज़ों को, तेल के बन्दरगाहों तक जाने के पहले, पानी पर साधने के लिये उस की तह में भारी भारी वस्तुएं रखनी पड़ती हैं इस लिये टैंकर का व्यापार जोखमपूर्ण है । मैं भारत के जहाज़ी समवाय की आलोचना नहीं करता हूं परन्तु वास्तव में हमारे देश के जहाज़ी समवायों ने ऐसा खतरा उठाने का साहस नहीं किया है । विचार यह किया जाता था कि सरकार टैंकर क्रय कर लेगी । इन क़रारों में, सरकार के टैंकरों तथा निगम के टैंकरों के सम्बन्ध में, जिन में अधिकांश हिस्से सरकार के हों, कुछ उपबन्ध रखे गये हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई टैंकर है ही नहीं । अस्तु इन क़रारों से भारतीय समवाय को हानि पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

श्री जोकीम आल्वा : जब जहाज़ के मालिकों ने टैंकर क्रय करने के लिये सरकारी सहायता मांगी थी तो क्या सरकार ने एक तिहाई, एक चौथाई अथवा पांचवां भाग, किसी अंश में भी, सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी ?

श्री अलगेशन : मैं यह भली भांति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बात नहीं है । जहाज़ी समवायों ने कभी सरकार के सामने टैंकर क्रय करने का प्रस्ताव नहीं रखना और न इसके लिये कभी ऋण ही मांगा । यदि ऐसा होता तो टैंकर क्रय करने के लिये ऋण दिये जा सकते थे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बाम्बे स्टीम नैविगेशन कम्पनी की कोंकण सेवा के किरायों में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में सरकार ने १९४९ में नौवहन नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत एक दर मंत्रणा बोर्ड नियुक्त किया था । इस बोर्ड ने परामर्श दिया था कि किरायों में १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी होनी चाहिये । परन्तु उक्त कम्पनी ने, बोर्ड की सिफ़ारिश से पहले ही सरकार की सलाह से तथा अपनी इच्छा से किरायों में ८$\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी कर दी ।

परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि यदि यह साबित हो जाये कि किराये वास्तव में बहुत अधिक हैं तो किरायों पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है । इस वर्ष के अन्त में ऐसा होने वाला है कि जब किरायों के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाये तो इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या कोंकण सेवा का किराया जो यह कम्पनी वसूल करती है अनावश्यक रूप से बहुत अधिक है, तथा यदि ऐसा है तो इस के लिये क्या आवश्यक उपाय किये जा सकते हैं ।

कहा जाता है कि वीसा प्रणाली के कारण पाकिस्तानी नाविकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सदन को इस प्रणाली की उत्पत्ति तथा इस के विकास की बात अच्छी तरह से ज्ञात है । इस के लिए उत्तर-दायित्व भारत पर नहीं है । परन्तु, एक बार दोनों देशों के बीच इस प्रणाली को स्वीकार किये जाने के बाद पाकिस्तानी नाविकों को विमुक्ति कैसे दी जा सकती है । इस से सम्बन्धित पत्रों के प्राप्त करने में उन को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न किया जा

रहा है। उदाहरण के लिये यह तै कर दिया गया है कि उन के निरन्तर निर्बन्धता प्रमाण-पत्रों को ही पारपत्र समझ लिया जायेगा। उन को केवल वीसा लेना पड़ता है। यह वीसा उन को उसी समय दे दिये जाते हैं जब उन्हें कलकत्ते में निर्बन्ध किया जाता है। जो नाविक पाकिस्तान में हैं उन को ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त वीसा देता है। पाकिस्तानी नाविकों को इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई होती है इस की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

इन नाविकों की एक बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान की रहने वाली है। परन्तु उन की भर्ती भारतीय बन्दरगाहों में, विदेशी समवायों द्वारा की जाती है। इस भर्ती में बड़ी गड़बड़ी होती है जिस को ठीक करने के लिये हम बम्बई तथा कलकत्ता दोनों स्थानों में नाविक नौकरी दफ़तर खोलने जा रहे हैं। बम्बई का दफ़तर खुल गया है तथा शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देगा। कुछ ही समय में कलकत्ते का दफ़तर भी खुल जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में नौवहन नियंत्रण अधिनियम १९४७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड २—(१९४७ के अधिनियम २६ की धारा १ का संशोधन)

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ६ में '१९५६' के स्थान पर '१९५५' रख दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब इसे सदन के सामने मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि साढ़े छै बजे मुझे मुखबन्द प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ १, पंक्ति ६, में '१९५६' के स्थान पर '१९५५' रख दिया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ तथा २, नाम तथा अधिनियम सूत्र, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ तथा २, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में नौवहन नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९५४ को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५३—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन १५ दिसम्बर, १९५३ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(१९४८ के अधिनियम ११ की धारा ३ का संशोधन)

संशोधन किये गये :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति २३ में "१९५३" ["१९५३"] के स्थान पर "१९५४" ["१९५४"] रख दिया जाये ।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति २६ में "१९५३" ["१९५३"] के स्थान पर "१९५४" ["१९५४"] रख दिया जाये ।

[श्री वी० वी० गिरि]

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४—(१९४८ के अधिनियम ११ की धारा १४ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५—(१९४८ के अधिनियम ११ की धारा २६ का संशोधन)

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में खण्ड ५ के स्थान पर यह निम्नलिखित रख दिया जाये :—

'5. *Amendment of section* 26, *Act XI of* 1948.—After sub-section (2) of section 26 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely :

"(2A). The appropriate Government may, if it is of opinion that, having regard to the terms and conditions of service applicable to any class of employees in a scheduled employment generally or in a scheduled employment in a local area, it is not necessary to fix minimum wages in respect of such employees of that class as are in receipt of wages exceeding such limit as may be prescribed in this behalf, direct by notification in the official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, that the provisions of this Act or any of them shall not apply in relation to such employees."

['५. १९४८ के अधिनियम ११ की धारा २६ का संशोधन .—मूल अधिनियम की धारा

२६ की उपधारा (२) के पश्चात् यह उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(२क) सम्बद्ध सरकार, यदि उस की यह सम्मति हो कि सामान्यतया किसी अनुसूचित काम में या किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अनुसूचित काम में किसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उस वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें कि उस विषय में निर्धारित सीमा से अधिक मजूरी मिल रही हो, न्यूनतम मजूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है, तो सरकारी गज़ट में अधिसूचना निकाल कर और यदि वह कोई शर्तें लगाना उचित समझे तो उन शर्तों के अधीन निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध या उन में से कोई उपबन्ध इस प्रकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।" ']

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ २ में खण्ड ५ के स्थान पर यह रख दिया जाये :—

'5. *Amendment of section 26, XI of 1948.*— After sub-section (2) of section 26 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2A). The appropriate Government may, if it is of opinion that, having regard to the terms and conditions of service applicable to any class of employees in a scheduled employment generally or in a scheduled employment in a local area, it is not necessary to fix minimum wages in respect of such employees of that class as are in receipt of wages exceeding such limit as may be prescribed in this behalf, direct, by notification in the official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, that the provisions of this Act or any of them shall not apply in relation to such employees." ']

['५. १९४८ के अधिनियम ११ की धारा २६ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा २६ की उपधारा (२) के पश्चात् यह उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(२क) सम्बद्ध सरकार, यदि उस की यह सम्मति हो कि सामान्यतया किसी अनुसूचित काम में या किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अनुसूचित काम में किसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उस वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें कि उस विषय में निर्धारित सीमा से अधिक मजूरी मिल रही हो न्यूनतम मजूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है, तो सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर और यदि वह कोई शर्तें लगाना उचित समझे तो उन शर्तों के अधीन निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध या उन में से कोई उपबन्ध इस प्रकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।" ']

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे। संशोधक विधेयक में यह लिखा हुआ है कि अनुसूची के भाग १ और २ में निर्दिष्ट कामों के सम्बन्ध में मजूरी की न्यूनतम दरें ३१ दिसम्बर, १९५४ तक निश्चित कर दी जानी चाहिये। यदि सरकार की किसी भूल-चूक के कारण ३१ दिसम्बर १९५४ तक कुछ उद्योगों की मजूरी न निश्चित की जाये और उन उद्योगों की प्रचलित मजूरी उस न्यूनतम मजूरी से थोड़ी अधिक हो जो सरकार की राय में निश्चित की जायेगी, तो क्या होगा? न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं की गई; किन्तु सरकार की सम्मति में यदि न्यूनतम मजूरी निश्चित की जायेगी तो वह मजूरी की प्रचलित दरों से कम होगी; उस अवस्था में इस उपबन्ध के द्वारा सरकार को न्यूनतम मजूरी निश्चित न करने का अधिकार दिया गया है। इस विषय में सरकार यह नहीं जान सकेगी कि उस उद्योग में न्यूनतम मजूरी कितनी होगी। यह तो केवल सरकार को इस बात का अनुमान लगाने के लिये अधिक शक्ति देना है कि न्यूनतम मजूरी क्या होगी। न्यायाधिकरण अनेक प्रकार से मजूरी निश्चित करते हैं। कुछ मामलों में न्यायाधिकरण न्यूनतम मजूरी निश्चित कर देते हैं। कुछ में उद्योग की दशा के अनुसार उचित मजरी या जीवन-निर्वाह के लिये पर्याप्त मंजूरी भी निश्चित कर देते हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिन में न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं की जाती है किन्तु परम्परागत मजूरी ही चलती रहती है। अतः यह कहना कि क्योंकि सरकार यह समझती है कि यदि न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई तो वह प्रचलित दरों से कम होगी और इसलिये किसी उद्योग विशेष में न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को ऐसी शक्ति देना होगा जिसे श्रमिक वर्ग देना न चाहेगा। वह सरकार को काल्पनिक मामलों में केवल इस बात का अनुमान लगाने के लिये कि न्यूनतम मजूरी क्या होगी कोई शक्ति देना नहीं चाहते। मेरे विचार में इस खण्ड से श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं होगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। सरकार के विचार में जहां कहीं इस धारा के दुरुपयोग की सम्भावना हो वहां उसे उचित अनुदेश देने चाहियें।

श्री वी० वी० गिरि : इस विषय पर निश्चय ही आगे और विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ में खण्ड ५ के स्थान पर यह रख दिया जाये :—

'15. *Amendment of section 26, Act.* XI *of 1948.*—

After sub-section (2) of section 26 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely—

"(2A) The appropriate Government may, if it is of opinion that, having regard to the terms and conditions of service applicable to any class of employees in a scheduled employment generally or in a scheduled employment in a local area, it is not necessary to fix minimum wages in respect of such employees of that class as are in receipt of wages exceeding such limit as may be prescribed in this behalf, direct by notification in the official Gazette and subject to such conditions if any, as it may think fit to impose, that the

provisions of this Act or any of them shall not apply in relation to such employees."'

['५. १९४८ के अधिनियम ११ की धारा २६ का संशोधन :—मूल अधिनियम की उपधारा २६ की उपधारा (२) के पश्चात् यह उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(२क) सम्बद्ध सरकार, यदि उस की यह सम्मति हो कि सामान्यतया किसी अनुसूचित काम में या किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अनुसूचित काम में किसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों को ध्यान रखते हुए उस वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें कि उस विषय में निर्धारित सीमा से अधिक मजूरी मिल रही हो, न्यूनतम मजूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है, तो सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर और यदि वह कोई शर्तें लगाना उचित समझे तो उन शर्तों के अधीन निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध या उन में से कोई उपबन्ध इस प्रकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।" ']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ के स्थान पर रखा गया खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६ तथा १, नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ तथा १, नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री वेंकटारमन : केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों ने इस न्यनतम मजूरी अधिनियम को जिस प्रकार प्रवर्तित तथा क्रियान्वित किया है उस के विरुद्ध मैं तीव्र विरोध प्रकट करता हूं । यह अधिनियम १९४८ में पारित किया गया था और आरम्भ में न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये एक वर्ष का समय दिया गया था, किन्तु उस के बाद इस सदन में तीन बार इस की अवधि बढ़ायी जा चुकी है और फिर भी हम अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योगों के सम्बन्ध में भी अब तक न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं कर सके हैं, अनुसूची २ में उल्लिखित कृषि की समस्या को तो मेरे विचार में अभी छुआ भी नहीं गया है ।

माननीय मंत्री के इस संशोधन का कि "३१ दिसम्बर, १९५३" के स्थान पर "३१ दिसम्बर, १९५४" रख दिया जाये, मैं कुछ कुछ विरोध करता हूं । मेरी सम्मति यह है कि हमें कोई तिथि निश्चित नहीं करनी चाहिये । तिथि निश्चित कर के हम राज्य सरकारों की न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की शक्ति को सीमित कर रहे हैं । यदि वे नियत समय के अन्दर इसे निश्चित न कर सकें और बाद में निश्चित करें तो यह अवैध हो जायेगी । यदि कोई तिथि निश्चित न की जाये तो वे कभी भी न्यूनतम मजूरी निश्चित कर सकती हैं । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र इस

[श्री वेंकटारमन]

अधिनियम को क्रियान्वित करने का निदेश दे कर इस विषय में कोई आन्दोलन करना चाहिये। मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को कम से कम ३१ दिसम्बर, १९५४ तक न्यूनतम मजूरी निश्चित कर ही देनी चाहिये और मुझे आशा है कि श्रम मंत्री जी को पुनः इस का समय बढ़ाने के लिये कोई संशोधक विधेयक प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

श्री इलयापेरुमल (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ में पारित किया गया था और यह अजमेर और दिल्ली को छोड़कर शेष सब राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया था। इस अधिनियम को लागू न करने के कारण गत छैः वर्षों में मद्रास राज्य में अनेक बार श्रमिकों के झगड़े हुए हैं और अब भी हो रहे हैं।

अतः मैं अपने माननीय मित्र श्री आर० वेंकटारमन का समर्थन करता हूं और श्रम मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि वे मद्रास राज्य को तुरन्त इस अधिनियम को लागू करने के लिये आवश्यक निदेश दें जिस से कि मद्रास भर के हरिजनों और कृषि श्रमिकों को राहत मिल सके।

श्री के० सी० सोधिया : न्यूनतम मजूरी अधिनियम मजदूरों के लाभ के लिये पारित किया गया था। उस के अनुसार श्रमिकों की मजूरी में कुछ कटौती की जा सकती है। परन्तु बेचारे अनपढ़ श्रमिकों को यह नहीं पता कि यह कटौती किस प्रकार की होती है और नियोक्ता उन से मनमानी कटौती कर लेते हैं। मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि कटौती करने सम्बन्धी राज्य सरकारों का यह आदेश स्थानीय भाषा में लिख कर कारखाने में किसी ऐसे स्थान पर लगा दिया जाये जहां सब श्रमिक उसे पढ़ सकें।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है। कुछ मंत्रणा समितियां हैं जो राज्य सरकारों को इस विषय में मंत्रणा देती हैं कि किसी उद्योग की न्यूनतम मजूरी क्या होनी चाहिए।

इस अधिनियम में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि ये मंत्रणा समितियां किस आधार पर गणना करेंगी और न ही स्थानीय सरकारों के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के हेतु कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये हुए हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि मंत्रणा समितियों और राज्य सरकारों के न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने के बारे में मार्गदर्शन के हेतु इस विधेयक में ही कुछ उपबन्ध या निदेश होने चाहिये। न्यूनतम मजूरी निश्चित करते समय नियोजकों के लाभ को भी ध्यान में रखना चाहिये।

मेरी तीसरी प्रार्थना यह है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रणा बोर्ड में इस संसद् के सदस्यों का भी कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिये, क्योंकि यद्यपि उन का श्रमिकों से कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है फिर भी उन्हें साधारण ज्ञान काफ़ी है और वे इस निकाय को अच्छी मंत्रणा दे सकेंगे।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सब सुझावों पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० सी० शर्मा।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : यह विधेयक हमारी कमी का द्योतक है। इस से यह पता चलता है कि हमारी प्रशासन-व्यवस्था कितने धीरे धीरे कार्य करती है। छै वर्ष बीत चुके हैं और अब हम इस की अवधि १९५४ के अन्त तक बढ़ाना चाहते हैं जब कि यह कार्य बहुत पहले ही हो जाना

चाहिये था। अतः माननीय मंत्री से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे कोई ऐसा ढंग निकालें जिस से केन्द्र तथा राज्यों में अधिक सहयोग हो सके।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की मजूरी निश्चित न होने के कारण बड़े झगड़े हुए हैं। मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वे भारत के सभी राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजूरी निश्चित करा दें।

जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम यह कहते थे कि हम मजदूरों और किसानों के लिये स्वराज चाहते हैं। किन्तु अब हम उन के लिये उतना नहीं कर सके हैं जितना कि हमें करना चाहिये था। अतः हमें इस विषय में कुछ करना चाहिये।

मैं जब अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाता हूं तो हरिजन भाई मुझ से कहते हैं कि हमें जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है और वे बापू राज चाहते हैं। उन्हें यह बापू राज न मिलने का कारण यह है कि सरकार को आर्थिक तथा जन-कल्याण सम्बन्धी जो विधान बनाने चाहियें थे वे नहीं बन सके हैं। अतः हमें इन लोगों की न्यूनतम मजूरी तो सब से पहले निश्चित करनी चाहिये, जिस से देश में असन्तोष दूर हो सके। मेरी माननीय मंत्री से केवल यही प्रार्थना है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस विधेयक को क्रियान्वित करवायें। मुझे आशा है कि वे पुनः इस विधेयक की अवधि को बढ़वाने के लिए हमारे पास नहीं आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कक्कन।

श्री कक्कन (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं हरिजनों तथा कृषि श्रमिकों की ओर से माननीय श्रम मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। यद्यपि यह विधेयक १९४८ में पारित हुआ था, किन्तु मद्रास में यह प्रवर्तित नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं मद्रास में साम्यवादी तथा अन्य समाज-विरोधी तत्व मजदूरों को बहका रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वे मद्रास सरकार से इस अधिनियम को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिये कहें जिस से कि हरिजन इन समाज विरोधी तत्वों के बहकावे में न आ सकें।

इस के पश्चात् सभा, सोमवार, १५ मार्च १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

©IPD—HS—18 PSD—5-7-54—285